VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

VISION

Classroom Study Material

अर्थव्यवस्था - I

November 2015 – August 2016

Note: September and October material will be updated in November 1st week.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

वित्त एवं बैंकिंग ____ *4*

1. मौद्रिक नीति ____ *4*

1.1. एकमात्र पैरामीटर के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लाभ ____ 5

1.2. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: CPI केन्द्रित नीतिगत दरों का इस्तेमाल ____ 6

1.3. सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (MCLR) ____ 6

1.4. भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट ____ 7

2. वित्तीय समावेशन: वित्त तक पहुँच ____ *8*

2.1. ऑन-टैप बैंकिंग लाइसेंस का प्रयोग कर बैंकों की संख्या बढ़ाना ____ 8

2.2. भुगतान बैंक ____ 9

2.3. भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना ____ 9

2.4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र ____ 10

2.5. प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी (PSL) के मानदंडों में संशोधन ____ 11

2.6. मुद्रा योजना में परिवर्तन ____ 12

2.7. बैंकिंग सेवाओं के उपयोग में आसानी: इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और संवितरण प्रणाली ____ 12

2.7.1. भारतीय रिजर्व बैंक का विज़न दस्तावेज 2018 ____ 12

2.7.2. एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस ____ 13

3. बैंकिंग के संरचनात्मक और कार्यात्मक समस्याओं को सुलझाना ____ *15*

3.1. मान्यता ____ 15

3.1.1. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ____ 15

3.1.2. दबावग्रस्त परिसंपत्तियां ____ 15

3.1.3. विलफुल डिफाल्टर ____ 16

3.2. पुनर्पूंजीकरण ____ 16

3.3. NPA समस्या का समाधान ____ 17

3.3.1. दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की संधारणीय संरचना योजना (S4A) ____ 17

3.3.2. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ____ 18

3.3.3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए अन्य कदम ____ 18

3.3.4. गैर निष्पादक परिसंपत्तियों से निपटने के लिए बैंकरों को क्षतिपूर्ति ____ 18

3.4. सुधार ____ 19

3.4.1. इंद्रधनुष ____ 19

3.4.2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन और विलय ____ 20

3.4.3. घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) ____ 21

4. वित्तीय विनियमन ____ *22*

4.1. आंतरिक विनियमन: ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2015 ____ 22

VISION IAS

4.2. आंतरिक विनियमन: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा सीमेंट कंपनियों पर व्यावसायी गुटबंदी के लिए जुर्माना। __ 22

4.3. आंतरिक विनियमन: कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए विशेष एजेंसी ____ 22

4.4. आंतरिक विनियमन: सेबी ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) और अपतटीय कोष प्रबंधकों के लिए नियमों में ढील दी _ 23

4.5. बाह्य विनियमन: FCNR पर RBI के कदम को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की मंजूरी ____ 23

4.6. बाह्य विनियमन: काले के धन के अंतर्वाह पर अंकुश लगाने के लिए सेबी (SEBI) ने नियमों को सख्त किया ____ 24

4.7. नियामकीय प्रभाव आकलन ____ 24

5. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस ____ 26

5.1. कर शासन में स्थिरता ____ 26

5.1.1. कर आतंकवाद ____ 26

5.1.2. आर.वी ईश्वर पैनल ____ 27

5.1.3. सीड फंडिंग टैक्स को समाप्त किया जाएगा ____ 28

5.1.4. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक , 2016 ____ 28

5.2. ऋणशोधन अक्षमता समाधान ____ 29

5.2.1. दिवालियापन कानून ____ 29

5.2.2 SARFAESI और DRT अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक ____ 30

5.3. द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) के लिए केंद्र-राज्य निवेश करार ____ 32

5.4. सरलीकरण मानदंड ____ 33

5.5. SWIFT: ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस ____ 33

5.6. मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक 2016 ____ 34

5.7. अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता/पंचाट तंत्र ____ 35

5.7.1. गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों का समाधान ____ 35

5.8. तपन रे पैनल की सिफारिशें ____ 36

5.9. सरकार द्वारा उठाये गए अन्य कदम ____ 37

5.9.1. 'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम ____ 37

5.9.2. दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना ____ 38

5.9.3. स्टैंड अप इंडिया योजना ____ 39

5.9.4. स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया के लाभ ____ 39

5.10. मेक इन इंडिया की प्रगति की निगरानी करने और राज्यों को रैंकिंग देने के लिए डैशबोर्ड ____ 39

5.11. वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट ____ 40

5.12. विश्व बैंक का लॉजिस्टिक्स कार्य-निष्पादन सूचकांक ____ 41

VISION IAS

वित्त एवं बैंकिंग

[FINANCE AND BANKING]

1. मौद्रिक नीति

[Monetary Policy]

मौद्रिक नीति के निर्धारण की पद्धति में सुधार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को संशोधित किया गया है। यह संशोधन वस्तुतः भारत की मौद्रिक नीति को निर्धारित करने की जिम्मेदारी को पुनर्व्यवस्थित करता है। उल्लेखनीय है कि अभी तक यह जिम्मेदारी केवल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर के हाथों में केन्द्रित रही है।

विभिन्न समितियों– **तारापोर, रेड्डी, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC)** और हाल ही की **ऊर्जित पटेल समिति** ने या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यह अनुशंसा की है कि:

- मौद्रिक नीति का निर्धारण एक व्यक्ति के स्थान पर समिति द्वारा किया जाना चाहिए।
- निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- इस प्रकार के बैठक की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

- अभी तक, भारतीय रिजर्व बैंक अपने मौद्रिक नीति निर्णयों को बहुल संकेतक दृष्टिकोण (multiple indicator approach) के आधार पर लिया करती थी। यह अपेक्षा की जाती थी कि मौद्रिक नीति की दरें निर्धारित करते समय मुद्रास्फीति, विकास, रोजगार, बैंकिंग स्थिरता एवं स्थिर विनिमय दर की आवश्यकता को ध्यान में रखा जायेगा। इस प्रकार, प्रत्येक नीतिगत समीक्षा से पहले RBI को तीव्र लॉबिंग और उसके बाद कटु आलोचना का सामना करना पड़ता था।
- सरकार/उद्योग कम दरों की मांग करते हैं जबकि उपभोक्ता उच्च मुद्रास्फीति की शिकायत करते हैं। बैंक के मुखिया दरों में कटौती चाहते हैं किंतु पेंशनभोगी उच्च दर चाहते हैं। अंततः RBI ने इन उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु अलग-अलग समय पर अलग-अलग संकेतकों पर ध्यान केन्द्रित करना आरम्भ किया।
- इसका समाधान करने के लिए, RBI ने मौद्रिक नीति की समीक्षा हेतु उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, और इस समिति ने जनवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- यह सुझाव दिया गया कि RBI 'बहुल-संकेतक' दृष्टिकोण का त्याग कर केवल मुद्रास्फीति को लक्षित करना मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य बनाए।
- इसने एक मौद्रिक नीति समिति (MPC) का सुझाव भी दिया जिससे बहुमत द्वारा ये निर्णय लिए जा सकें। जवाबदेही के लिए मौद्रिक नीति समिति में सरकार और RBI दोनों के सदस्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया।
- सरकार को अपने घाटे पर नियंत्रण रखना होगा एवं मुद्रास्फीति में तेजी से बढ़ोत्तरी होने पर RBI को स्पष्टीकरण देना होगा।
- इस प्रकार मौद्रिक नीति तय करने के लिए **समिति प्रणाली की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही थी।** इससे दर-निर्धारण निर्णयों में "मूल्य और पारदर्शिता" लाए जाने की अपेक्षा है।

तकनीकी परामर्श समिति (TAC) की तुलना में अंतर:

- यद्यपि RBI तकनीकी परामर्श समिति के साथ कार्य करती रही है, लेकिन नई मौद्रिक नीति समिति (MPC) के साथ काम करने की शर्तें भिन्न होंगी।
- तकनीकी परामर्श समिति (TAC) में गुप्त मतदान होता था, लेकिन मौद्रिक नीति समिति (MPC) का ढांचा केन्द्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति की बैठकों के रिपोर्ट् को साझा करना अनिवार्य करता है।
- मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों के बीच सूचना की सीमित उपलब्धता की शिकायत थी। संशोधित RBI अधिनियम कहता है कि मौद्रिक नीति समिति के सदस्य अब किसी भी समय "आंकड़ों, मॉडल या विश्लेषण आदि जैसे अतिरिक्त सूचना" के लिए निवेदन कर सकते हैं।
- नई व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्रीय बैंक के गवर्नर और उसके स्थानापन्नों प्रतिनिधि (deputies) की भूमिका भी परिवर्तित होगी। पूर्व में, गवर्नर की भूमिका सुनने एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने की होती थी।

VISION IAS

वित्त मंत्रालय और RBI द्वारा स्वीकृत मौद्रिक नीति समिति का गठन

- तीन सदस्यों को सरकार और तीन सदस्यों (RBI के गवर्नर, उप गवर्नर-मौद्रिक नीति एवं एक कार्यकारी निदेशक) को RBI मनोनीत करेगी।
- सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में, एक सर्च कमिटी अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त क्षेत्र की विशेषज्ञता वाले तीन बाह्य सदस्यों की अनुशंसा करेगी।
- RBI के गवर्नर (समिति के अध्यक्ष) का मत निर्णायक होगा।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में RBI के लिए मुद्रास्फीति के लक्ष्य स्वयं RBI के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

Total	100
Primary Articles	20.12
Food Articles	14.34
Non-Food and Minerals	5.78
Manufactured Products	64.97
Food Products	9.97
Non-Food Products	55
Fuel and Power	14.91

- मुद्रास्फीति को लक्षित करने एवं नीति दरों को निर्धारित करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का उपयोग एकमात्र मानदण्ड के रूप में हो रहा है।
- इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने CPI में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए आधार वर्ष और भारांश को अपडेट किया है।
- CPI से पहले, अप्रैल 2014 तक भारत में मुद्रास्फीति का मापन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) प्रमुख सूचकांक था। यह विनिर्माण वस्तुओं को अधिक महत्व देता है और उद्योग के लिए उपयोगी है। यह खुदरा वस्तुओं का मापन नहीं करता है।

1.1. एकमात्र पैरामीटर के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लाभ

[Advantages of CPI as Sole Parameter]

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष एवं बाजार गतिशीलता को बेहतर रूप से दर्शाता है। यह सामान्य जनसंख्या को प्रभावित करने वाले पहलुओं के ज्यादा नजदीक है इसलिए यह एक बेहतर पैरामीटर है।
- CPI में संशोधन आशाजनक है। जैसे- खाद्य पदार्थों का भारांश 47.6% से घटाकर 45.9% कर दिया गया है तथा ईंधन का भारांश 6.5% से 9.8% कर दिया गया है। आवास और वस्त्र के लिए भारांश बढ़ा दिया गया है। यह परिवर्तन बदलते उपभोग प्रतिरूप को दर्शाते हैं।
- CPI सेवा क्षेत्र को सम्मिलित करता है: नीतिगत दरों के निर्धारण में सीपीआई, WPI से बेहतर है क्योंकि CPI अप्रत्यक्ष रूप से सेवा क्षेत्र को भी समाहित करता है जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, एवं संचार आदि पर खर्च।
- केन्द्रीय बैंक को वास्तविक ब्याज दर को भी बनाये रखना पड़ता है और इसके लिए वह CPI का सहारा लेता है क्योंकि रिटेल उपभोक्ता, उनकी वस्तु उपभोग एवं क्रय क्षमता, उनके निवेश एवं बचत निर्णय इससे प्रभावित होते हैं।

लेकिन इस अद्यतनीकरण के कुछ नुकसान भी हैं:

- **विकृतियाँ (Distortion):** यदि खाद्य और ईंधन मदों की एक अपेक्षाकृत छोटे खपत बास्केट के लिए उच्च भारांश निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो धनराशि की कुल लागत में विकृति (distortion) आ सकती है।
- CPI बास्केट में अस्थिर क्षेत्र जैसे ईंधन की उपस्थिति, आपूर्ति श्रृंखला की कमियाँ और अवरोध RBI द्वारा निर्धारित नीतिगत दरों के नियंत्रण से परे हैं।
- **मांग प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन सही रूप से CPI में परिलक्षित नही होते हैं:** बढती आय और हस्तांतरण भुगतान के कारण तथाकथित बेहतर खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है।

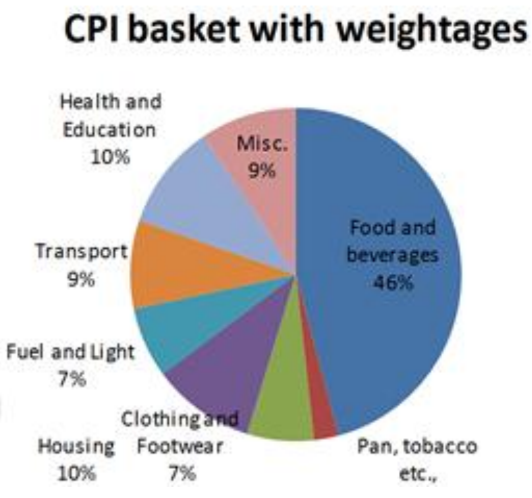

VISION IAS

1.2. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: CPI केन्द्रित नीतिगत दरों का इस्तेमाल

(Inflation Targeting: Using policy rates anchored to CPI)

पक्ष

- **विश्वसनीयता:** मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता होता है। स्थिरता विश्वास को बढ़ावा देती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है|
- **मुद्रास्फीति से होने वाले नुकसान में कमी**: उच्च मुद्रास्फीति अनिश्चितता को बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप निवेश में कमी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान और बचत करने वालों को नुकसान होता है।
- **अर्थव्यवस्था में अतिवृद्धि एवं शिथिलता चक्र पर अंकुश:** उच्च स्फीतिकारी संवृद्धि आर्थिक मंदी की स्थिति को ख़त्म कर सकती है। पुनः यह स्थिर एवं सतत आर्थिक वृद्धि की स्थिति उत्पन्न करती है।

विपक्ष

- केन्द्रीय बैंक अन्य अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं की अनदेखी कर सकता है |
- वित्तीय संकटों या अप्रत्याशित घटनाओं के विरुद्ध केन्द्रीय बैंक की क्षमताओं को प्रतिबंधित करता है |
- रोजगार पर अत्यंत खराब परिणाम
- आपूर्ति पक्ष में बड़े अवरोधों के कारण व्यापक अस्थिरता (जैसे- सूखे के समय)

निष्कर्ष: चूँकि मौद्रिक नीति का उद्देश्य 'केंद्र सरकार के संवृद्धि लक्ष्य के साथ संतुलन बनाते हुए मूल्य स्थिरता को बनाये रखना है अतः यह संशोधन एक बेहतर पहल के रूप में देखा जा सकता है।

1.3. सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (MCLR)

[Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने बैंकों को अपनी संबंधित आधार दरों को निर्धारित करने के लिए MCLR का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

MCLR क्या है?

- MCLR का संबंध बैंक की न्यूनतम ब्याज दर से है। RBI द्वारा अनुमोदित कुछ मामलों को छोड़कर बैंकों द्वारा इस दर से कम दर पर उधार नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार यह बैंक के लिए आंतरिक मानदंड या संदर्भ दर है।
- **MCLR के उद्देश्य**
- बैंकों की ऋण दरों में मौद्रिक नीति दरों के अन्तरण की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए।
- अग्रिम जमाराशियों पर ब्याज दरों के निर्धारण में बैंकों द्वारा पालन की जाने वाली कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए।
- ऐसी ब्याज दरों पर बैंक ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो ऋण लेने वालों और साथ ही बैंकों दोनों के लिए निष्पक्ष हों।
- बैंकों को प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक सक्षम बनाने एवं उनके दीर्घावधिक मूल्य एवं आर्थिक विकास में योगदान बढ़ाने के लिए।

आधार दर बनाम MCLR

- **आधार दर का परिकलन** फंड की लागत, प्रतिफल की न्यूनतम दर अर्थात् मुनाफ़ा या लाभ, संचालन व्ययों और नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने की लागत पर आधारित है, जबकि MCLR निधि की सीमांत लागत, अवधि प्रीमियम, संचालन व्ययों और नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने की लागत पर आधारित है।
- **MCLR के अंतर्गत सीमांत लागत का परिकलन**: सीमांत लागत को निम्नलिखित कारकों के आधार पर प्रभारित किया जाता है - विभिन्न प्रकार के जमा के लिए ब्याज दर, निवल मूल्य पर उधारी और प्रतिफल। इसलिए MCLR को मोटे तौर पर सीमांत निधि लागत और विशेष रूप से जमा दरों और रेपो दरों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

MCLR आरम्भ करने के कारण

- सीमांत निधि लागत पर आधारित दरें, नीतिगत दरों में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। यही कारण है कि RBI ने आधार दर के स्थान पर MCLR का उपयोग करने का निर्णय किया है।
- मौद्रिक नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु यह बहुत आवश्यक है।

VISION IAS

- MCLR प्रणाली से पहले, आधार दर/न्यूनतम दर के परिकलन के लिए विभिन्न बैंक अलग-अलग पद्धति का अनुसरण कर रहे थे। वे पद्धतियाँ या तो औसत निधि लागत या सीमांत निधि लागत या मिश्रित निधि लागत पर आधारित थीं।

1.4. भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट

(RBI's Annual Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2016 प्रकाशित की है जिसमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं-

- रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के लिए मौजूदा संभावनाएं पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अधिक उज्जवल हैं।
- अवरुद्ध परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिलने से समग्र व्यापार धारणा को मजबूती मिली है।
- सड़कों और बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं।
- अच्छे मानसून और सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग द्वारा की गई वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश से खपत को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मांग में वृद्धि होने की संभावना है।
- केंद्रीय बैंक के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं:- आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और यह सुनिश्चित करना कि बैंक अपना ध्यान रेट कट ट्रांसमिशन तथा बैलेंस शीट को सही करने पर केंद्रित करें।

2. वित्तीय समावेशन: वित्त तक पहुँच

[Financial Inclusion: Access to Finance]

वित्तीय समावेशन, कमजोर वर्गों और कम आय समूहों जैसे सुभेद्य समूहों को सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं एवं आवश्यकता की स्थिति में समय पर पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

वित्तीय समावेशन से जुड़ी समस्याएँ

वित्तीय समावेशन के साथ जुड़ी कुछ समस्याएँ (दीपक मोहंती समिति):

- **अंतिम बिंदु तक सेवा डिलीवरी:** अधिकतम संभावित G2P भुगतानों के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर कम लागत वाला समाधान विकसित किया जाना चाहिए।
- **ऋण प्रणाली की स्थिरता:** वित्तीय समावेशन से सम्बंधित पहलों के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रणाली की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। एक यूनिक बायोमेट्रिक पहचान जैसे कि ***आधार* को प्रत्येक व्यक्ति के ऋण खाते से संबद्ध किया जाना चाहिए** एवं जानकारी को ऋण सूचना कम्पनियों से साझा किया जाना चाहिए।
- **लैंगिक असमानता:** बैंकों द्वारा महिलाओं के लिए खाते खोलने में बढ़ोत्तरी के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।
- सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) उधारकर्ताओं के लिए यूनिक पहचान प्रणाली का आरम्भ एवं इस प्रकार की सूचना को ऋण ब्यूरो के साथ साझा करना।
- इसने आधारभूत से उन्नत प्रशिक्षण तक, व्यापार अभिकर्ताओं (BCs) के प्रमाणन की क्रमिक प्रणाली की अनुशंसा की है। अच्छे ट्रैक रिकार्ड एवं उन्नत प्रशिक्षण सम्पन्न व्यापार अभिकर्ताओं पर, जमा और धनप्रेषण से परे ,अधिक जटिल वित्तीय कार्यों जैसे कि 'ऋण उत्पादों' के लिए विश्वास किया जा सकता है।
- समिति ने जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए नए खातों एवं जारी किए गए कार्डों का समर्थन करने हेतु आवश्यक अवसंरचना निर्मित करने के लिए विक्रय बिन्दु के रूप में एप्लीकेशन आधारित मोबाइल फोन का प्रयोग करने की अनुशंसा की है।
- सभी कृषि संभागों को औपचारिक ऋण आपूर्ति बढ़ाने के लिए *आधार*-संबद्ध तंत्र से समर्थित भूमि रिकार्डों का डिजिटलीकरण आगे की राह है।
- काश्तकारों के लिए भूमि की उपलब्धता बढ़ाने में आदर्श भूमि अधिनियम सहायक होगा।
- अनेक गारंटी एजेंसियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (MSEs) हेतु निकेत क्षेत्रों (niche areas) में ऋण गारंटी प्रदान करने और काउंटर गारंटी एवं पुनर्बीमा हेतु संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना।

> *"निर्धनता पर विजय प्राप्त करना दान की भावना नहीं है। यह न्याय का कार्य है। यह गरिमापूर्ण एवं सभ्य जीवन जीने के मूल मानवीय अधिकार का संरक्षण है। जब तक निर्धनता है, तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं है"* - ***नेल्सन मंडेला***

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम

2.1. ऑन-टैप बैंकिंग लाइसेंस का प्रयोग कर बैंकों की संख्या बढ़ाना

[Increasing no. of Banks Using On-tap Banking Licences]

- गत दो वर्षों में, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस देने की प्रक्रिया की गति तीव्र की है।
- विभिन्न वर्गों यथा सार्वभौमिक बैंक, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक के अंतर्गत 23 संस्थाओं को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया है।

इस नीति के लाभ

- नए बैंकों की स्थापना की गति तीव्र होगी क्योंकि इससे पहले पालन किए जाने वाले *रूको और जाओ* (stop & go) दृष्टिकोण की बजाय सतत लाइसेंसिंग संभव होगी ।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद आवेदन की गहराई से जांच करने हेतु स्थायी बाह्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए

✓ बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यापक विविधता वाले संस्थानों का समग्र परीक्षण करना संभव होगा।

✓ भारत में बैंकिंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना संभव होगा।

इस नीति से जुड़ी समस्याएं

- लाइसेंस प्रदान करने के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। पिछली बार लाइसेंस देने की प्रक्रिया काफी लंबी (लगभग 5 वर्ष) थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक को वे कारण भी बताने चाहिए, जिसके आधार पर बैंकिंग लाइसेंस देने से मना किया गया है।
- मसौदा नीति रेखांकित करती है कि मानदंड पूरा करने वाली सभी इकाइयों को लाइसेंस नहीं प्रदान किए जाएंगे। लाइसेंस देने की प्रक्रिया नियम आधारित होनी चाहिए, न कि विवेक आधारित होनी चाहिए।
- मानदंड केवल वित्तीय कंपनियों को ही बैंकिंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने की अनुमति देगा।

मसौदा नीति में लाइसेंस देने के लिए मानदंड:

- 500 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी।
- 10 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड। व्यक्तिगत आवेदकों के लिए बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में 10 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता।
- तीन वर्षों तक न्यूनतम 13 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात।

2.2. भुगतान बैंक

[Payment Banks]

- ये विशेष प्रकार के बैंक हैं जो केवल 1 लाख रुपये तक की जमा राशि किसी ग्राहक से ले सकते हैं, परन्तु उन्हें ऋण देने की अनुमति नहीं है। ये एटीएम या डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, परन्तु क्रेडिट कार्ड नहीं।
- भुगतान बैंकों का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को और ज्यादा बढ़ाना है।
- प्रारंभिक जांच के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 11 कंपनियों को भुगतान बैंकों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी थी।
- भुगतान बैंकों के लिए आवेदन करने में शुरुआती उत्साह के बाद, टेक महिंद्रा, संघवी और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने अब इसमें निवेश न करने का मन बनाया है।

भुगतान बैंक क्या हैं?

- भुगतान बैंक पूर्ण सेवा प्रदान करने वाले बैंक नहीं हैं, इनका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन में तेजी लाना है।
- भुगतान बैंक मुख्य रूप से विप्रेषण (रेमिटेंस) सेवाओं के लिए होंगे और 1 लाख रुपये तक की जमा राशि स्वीकार कर सकेंगे।
- वे ग्राहकों को ऋण नहीं देंगे और उन्हें अपने धन को सरकारी बांड और बैंक जमा राशि में लगाना होगा।
- वे मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, एटीएम/डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते।
- इक्विटी पूंजी के लिए प्रवर्तकों की न्यूनतम प्रारंभिक योगदान राशि पहले पांच वर्षों के लिए कम से कम 40 % होनी चाहिए।

चुनौतियाँ

- कम राजस्व: ये ऋण नहीं दे सकते, इसलिए प्रारम्भ में इनकी आय सिर्फ विप्रेषण से ही हो सकती है।
- 75% राशि सरकारी प्रतिभूतियों में लगानी पड़ेगी। इस प्रकार जमा आधार से कमाने की इनकी क्षमता भी सीमित है।
- जो सेवा भुगतान बैंक देंगे वही सेवा अन्य बैंक पहले से ही दे रहे हैं, इसलिए भुगतान बैंकों के लिए एक नया और अलग प्रस्ताव लाना आसान नहीं होगा।
- कुछ निजी कंपनियों ने विभिन्न चुनौतियों की वजह से भुगतान बैंक स्थापित करने की अपनी योजना का परित्याग कर दिया है।

2.3. भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना

[Establishing India Post Payments Banks]

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना हेतु 800 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

- भारतीय डाक भुगतान बैंक देश भर में 650 शाखायें और 5,000 एटीएम स्थापित करेगा। यह करीब 3500 कुशल बैंकिंग पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

VISION IAS

- उम्मीद है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक अपने परिचालन के सातवें वर्ष से मुनाफा कमाना शुरू कर देगा।
- भारतीय डाक भुगतान बैंक मार्च 2017 में 50 जिलों में परिचालन कार्य शुरू करेगा और वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक पूरे देश को कवर करेगा।

महत्त्व

- भारतीय डाक व्यवस्था की प्रखंड, तालुकों और गांवों तक व्यापक पहुंच और प्रसार।
- पुराना सेटअप, उपयोग में आसानी, विश्वास के कई साल और ग्रामीण लोगों को उपयोग की जानकारी।
- कई दूरदराज के क्षेत्रों में दूसरे बैंकों के लिए शाखा खोलना अलाभकारी है।
- प्रवासियों, मजदूरों, लघु उद्योगों और गरीब परिवारों के लिए सहायक, वित्तीय सेवाओं के उपयोग और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा।
- डेबिट सुविधा का प्रावधान।

2.4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र

[Regional Rural Banks and PSL]

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश में यह महसूस किया गया कि कुछ सांस्कृतिक कारणों से सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किसानों को ऋण प्राप्ति के मार्ग में कठिनाई आ रही है।
- सरकार ने वर्ष 1975 में नरसिम्हन कार्यदल का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सितंबर 1975 में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश लागू किया गया और बाद में इसकी जगह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 लाया गया।

मुख्य विशेषताएं:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व तीन संस्थाओं के पास था| जिनकी हिस्सेदारी निम्नवत थी:

  केन्द्र सरकार → 50%, राज्य सरकार → 15%, प्रायोजक बैंक → 35%
- प्रत्येक बैंक को एक "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक" द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- इन प्रायोजक बैंकों के लिए आवश्यक था-

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में हिस्सेदारी
2. उनके कर्मियों को प्रशिक्षित करना
3. प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करना

प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण क्या होते हैं?

प्राथमिकता क्षेत्र अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को दर्शाता है जिन्हें विशेष व्यवस्था के अभाव में समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत श्रेणियों में शामिल हैं - 1. कृषि; 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; 3. निर्यात ऋण; 4. शिक्षा; 5. आवास; 6. सामाजिक अवसंरचना 7.नवीकरणीय ऊर्जा; और 8. अन्य।

PSLCs क्या हैं?

- PSLCs व्यापार-योग्य प्रमाणपत्र होते हैं जोकि बैंकों के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण के एवज में निम्न के लिए जारी किये जाते हैं-

✓ जो बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, उन्हें इन लिखतों (instrument) की खरीद के लिए सक्षम बनाने हेतु।

✓ साथ ही अधिशेष वाले बैंकों को प्रोत्साहन देना, जिससे अंततः PSLC के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों को और अधिक ऋण प्रदान करने के लिए इन्हें प्रेरित किया जा सके।

- कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की तर्ज पर PSLCs का लक्ष्य बाजार तंत्र के माध्यम से विभिन्न बैंकों को उनके प्रतिस्पर्धी क्षमता के आधार पर प्राथमिक क्षेत्रक ऋण को बढ़ावा देना है।
- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक और लोकल एरिया बैंक PSLCs के व्यापार के लिए पात्र हैं।

VISION IAS

PSLCs के प्रकार

चार प्रकार के PSLCs होंगे:

- **PSLC कृषि**
- **PSLC SF/MF**
- **PSLC सूक्ष्म उद्यम**
- **PSLC सामान्य**

लाभ

वास्तव में PSLC बाज़ार द्वारा निर्धारित होने वाली ब्याज सब्सिडी है; यह उन्हें प्रदान की जाती है जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों को ऋण देते हैं।

- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ बैंकों के पास इस कमी को पूरा करने के लिए, अब एक और अधिक व्यावहारिक और आसान तरीका उपलब्ध होगा।
- यह बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों को खरीदने और बेचने के लिए एक सहज मंच प्रदान करता है।
- जो बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किये हुए हैं, उनके पास अब ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने और द्वितीयक बाजार में उन्हें आसानी के साथ बेचने के साधन उपलब्ध होंगे।
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकों द्वारा आनन-फानन में लक्ष्य को पूरा करने का मुद्दा भी हल हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी बैंक को उसके बही-खाते में अंतर्निहित ऋण के बिना पिछले वर्ष की PSLCs उपलब्धियों के 50 प्रतिशत तक PSLCs जारी करने की अनुमति है।
- यह बैंकों को उनके खुद के मजबूत पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वयं के संसाधनों को डायवर्ट करने के बजाय यह ऐसे बैंकों को अन्य बैंकों से उक्त लिखत (क्रेडिट) के खरीद की अनुमति देता है।

आशंकाएं

- ऋणदाता बैंक PSLCs की बिक्री से लाभ कमाने के उद्देश्य से ऋण की आवश्यक मात्रा की तुलना में अधिक ऋण देना प्रारंभ कर सकते हैं।
- बैंक अतिरिक्त PSL व्यापार के माध्यम से शुल्क कमाने में अत्यधिक संलग्न हो सकते हैं
- इस तरह के प्रमाणपत्र के द्वितीयक व्यापार पर भी अंकुश लगाना होगा।

निष्कर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक की PSLCs पहल एक अत्यंत अभिनव पहल है। इसमें समावेश और समता के लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय बैंकिंग में कुशलता बढ़ाने की क्षमता है।

2.5. प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी (PSL) के मानदंडों में संशोधन

[Revised Priority Sector Lending Norms]

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक को दिए जाने वाले ऋण के मानदंडों में संशोधन किया है। इन नए नियमों के मुताबिक, प्राथमिक क्षेत्रक उधारी लक्ष्यों को कुल आउटस्टैंडिंग (बकाया) के मौजूदा 60 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया गया है।

प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी के मानदंडों में अन्य महत्वपूर्ण संशोधन:

- व्यक्तिगत किसानों को प्रदान किये जाने वाले ऋण की सीमा 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 50 लाख रूपए कर दी गयी है।
- कॉरपोरेट किसानों, किसान उत्पादन संगठनों/ व्यक्तिगत किसानों की कंपनियां, किसानों की भागीदारी-युक्त कंपनियां/ कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न सहकारी समितियों को प्रति उधारकर्ता कुल ऋण की सीमा को दुगुना कर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- आवास ऋण के मामले में रिजर्व बैंक ने PSL की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली ऋण की राशि को कम कर दिया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार 25 लाख रुपयों की पूर्व सीमा को कम कर सिर्फ 20 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण को PSL माना जाएगा।

VISION IAS

2.6. मुद्रा योजना में परिवर्तन

(Changes in MUDRA Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने मुद्रा लि. (MUDRA ltd.) को मुद्रा बैंक (MUDRA Bank) में विलय की मंजूरी प्रदान कर दी है, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बैंक के रूप होगी। पुनः सरकार ने मुद्रा (MUDRA) ऋण के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की है।

क्रेडिट गारंटी फंड (सी.जी.एफ.) के गठन का उद्देश्य:

- CGF. के गठन का मुख्य उद्देश्य ऋण संवितरण में जुड़े मध्यस्थों, जैसे- MFI/बैंक/ NBFC अथवा अन्य वित्तीय सूक्ष्म और लघु इकाइयों, की ऋण जोखिम को कम करना है। MFIs अब पुनर्वित्त के लिए अथवा क्रेडिट गारंटी के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के साथ मुद्रा (सिडबी) बैंक के रूप में सदस्य ऋण संस्थान (MLI-Member Lending Institutions) बन सकते हैं।

2.7. बैंकिंग सेवाओं के उपयोग में आसानी: इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और संवितरण प्रणाली

[Ease of Using Banking Services: Electronic Payment and Disbursing Systems]

2.7.1. भारतीय रिजर्व बैंक का विज़न दस्तावेज 2018

[RBI's Vision Document for 2018]

विशेषताएँ

- यह दस्तावेज़ भारत को **कम नकदी व अधिक डिजिटल समाज** की ओर ले जाने पर केंद्रित है।
- विज़न-2018 की व्यापक रूपरेखा इन पांच बिंदुओं (5Cs- ***Coverage, Convenience, Confidence, Convergence and Cost***) - कवरेज, सुविधा, विश्वास, अभिसरण और लागत के इर्द-गिर्द घूमती है।

मुख्य विशेषताएं

- **कवरेज:** “कम-नकदी” समाज की प्राप्ति के लिए समाज के सभी वर्गों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना अर्थात ई-लेनदेन ,ई-भुगतान एवं ई-निपटान।
- **सुविधा:** इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मोबाइल बैंकिंग, व्हाइट लेबल एटीएम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर (NEFT) और प्रीपेड उपकरणों जैसे M-पर्स, प्रीपेड कार्ड और कागज वाउचर से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा करेगा।
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (नीचे उल्लेख किया गया है)

विश्वास : मौजूदा भुगतान प्रणालियों को मज़बूत किया जायेगा

- भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न भुगतान और निपटान चैनलों के संचालन संबंधी नियमों की समीक्षा करेगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी तंत्र को और विकसित करेगा और नई प्रणाली के लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण ढांचे की स्थापना करेगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल काउंटर पार्टीज (CCPs) के अधिक निरीक्षण और उनके दिवालियापन जैसे मुद्दों के समाधान में मदद के लिए भुगतान और निपटान अधिनियम (पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट) में आवश्यक संशोधन करेगा।
- प्रमाणीकरण के लिए आधार के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लाभ

- समय की बचत और सुविधा।
- पैसे की खोने, चोरी, लूट आदि से सुरक्षा।
- पैसे के प्रवाह को दर्ज किया जा सकेगा; जिससे काले धन में कमी आएगी।
- उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल भुगतान विकल्प भी उपलब्ध होंगे।
- सभी लेन-देन को कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है।

VISION IAS

सीमाएं

- हैक किये जाने का खतरा।
- भारत में इंटरनेट का उपयोग अभी भी काफी कम है।
- इंटरनेट कनेक्शनों की गुणवत्ता: अगर गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान / निपटान का उपयोग नहीं कर सकता है।
- अनामिता (anonymity) की कमी

2.7.2. एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस

[Unified Payments Interface (UPI)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

एकीकृत भुगतान इन्टरफेस (UPI) देश में मोबाइल भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तनों के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा आरंभ किया गया था ।

UPI क्या है?

- यह एक साझा मंच है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते से पैसे का हस्तांतरण तुरंत देश के किसी भी अन्य बैंक खाते में सिर्फ अपनी UPI ID के उपयोग द्वारा कर सकता है।
- इंटरफेस, तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service-IMPS) प्लेटफॉर्म आधारित होगा।

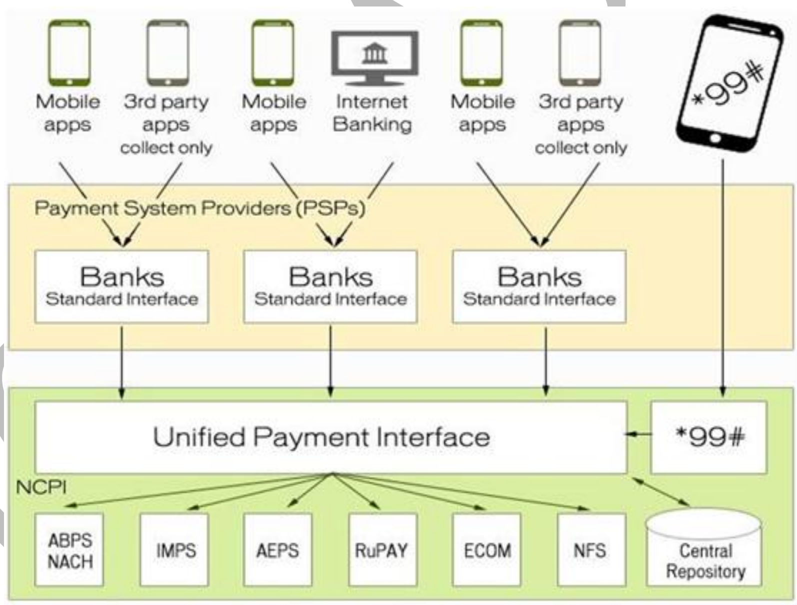

यह कैसे कार्य करेगा?

- **सरल:** ग्राहक किसी विशिष्ट वर्चुअल एड्रेस, मोबाइल नंबर या आधार संख्या के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन का हस्तांतरण कर सकते हैं।
- **सहज:** इसके लिए ग्राहकों को प्राप्तकर्ता के IFSC कोड, बैंक खाते का विवरण आदि पता करने की जरूरत नहीं है और इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
- **विश्वास:** एक ग्राहक के विभिन्न बैंकों में एक से अधिक खातों के लिए कई वर्चुअल एड्रेस हो सकते हैं। इसमें ग्राहक के स्वयं के बैंक के अलावा अन्य कहीं भी कोई अकाउंट नंबर मैपर नहीं है। यह ग्राहक को स्वतंत्र रूप से दूसरों के साथ वित्तीय वर्चुअल एड्रेस को साझा करने की अनुमति भी देता है।

यह मौजूदा भुगतान के तरीके की तुलना में बेहतर कैसे है?

- खाते के विवरण की आवश्यकता समाप्त करने के अलावा इससे व्यक्ति भुगतान के लिए अनुरोध कर सकते हैं और पैसे के लिए पूछताछ भी कर सकते हैं। इसलिए, यह उम्मीद की जा रही है कि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त व्यापारियों और कंपनियों द्वारा भी व्यापक रूप से इस मंच का उपयोग किया जाएगा।

महत्व

- भारत में नकद का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 12 फीसदी से अधिक है और भारत अभी भी नकदी गहन अर्थव्यवस्था है। अनुमानों के अनुसार, भारत में 95 प्रतिशत उपभोक्ता लेन-देन (मात्रा में) और 65 प्रतिशत (मूल्य में) नकद में किया जाता है। जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह क्रमशः 40-50% (मात्रा) और 10-20% (मूल्य) है। इसमें UPI से बदलाव की उम्मीद है।

- भारत में मुद्रा परिचालन की अनुमानित वार्षिक लागत 21,000 करोड़ रुपये है। कम नकदी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़कर, इस लागत को काफी कम किया जा सकता है।
- अधिक अंतर्परिचालनीयता: हालांकि बैंक बड़ी संख्या में मोबाइल बैंकिंग सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं, परन्तु ये पूरी तरह से इंटर-ऑपेरेबल नहीं हैं, खास तौर पर व्यापारी लेनदेन के लिए। इसने व्यापारी या P2B (person-to-business) लेनदेन के लिए मोबाइल भुगतान के उपयोग को प्रभावित भी किया है। अतः UPI का पूर्ण संचालन P2B भुगतान में अंतर-परिचालन की सुविधा प्रदान करेगा।

कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पैनल गठित

- सरकार ने पूर्व वित्त सचिव रतन पी. वटल की अध्यक्षता में एक ग्यारह सदस्यीय पैनल गठित की है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेनदेन को बढ़ावा देने के तरीकों का सुझाव देगी जिसमें कर छूट जैसे प्रोत्साहन, कैश बैक, लॉटरी और मौजूदा नियामक तंत्र में परिवर्तन आदि सम्मलित हैं।
- यह पैनल विशिष्ट पहचान संख्या या अन्य पहचान दस्तावेजों से सत्यापन कार्ड और डिजिटल लेनदेन में लाभ उठाने के क़दमों के संबंध में सुझाव देगी और भुगतान से सम्बंधित सर्वोत्तम वैश्विक प्रचलनों का अध्ययन करेगी।
- डिजिटल साधनों के माध्यम से "तत्काल, कम लागत वाले माइक्रो-क्रेडिट" (instant, low cost micro-credit) को सुनिश्चित करने के लिए यह पैनल केंद्रीकृत KYC रजिस्ट्री की स्थापना का परीक्षण करेगी और सभी कार्ड/डिजिटल भुगतान की एक भुगतान हिस्ट्री तैयार करने की व्यवहार्यता का भी अध्ययन करेगी।
- यह समिति सभी प्रकार के कार्ड/सरकार की प्राप्तियों के डिजिटल भुगतान को स्वीकार करने , NPCL के माध्यम से उन्हें निपटाने और सभी सरकारी प्रणालियों जैसे- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, PayGov, भारतकोष और ई-कुबेर के एकीकरण की सम्भावना के लिये भुगतान गेटवे हेतु एकल खिड़की प्रणाली को प्रारम्भ करने से सम्बंधित अध्ययन करेगी।

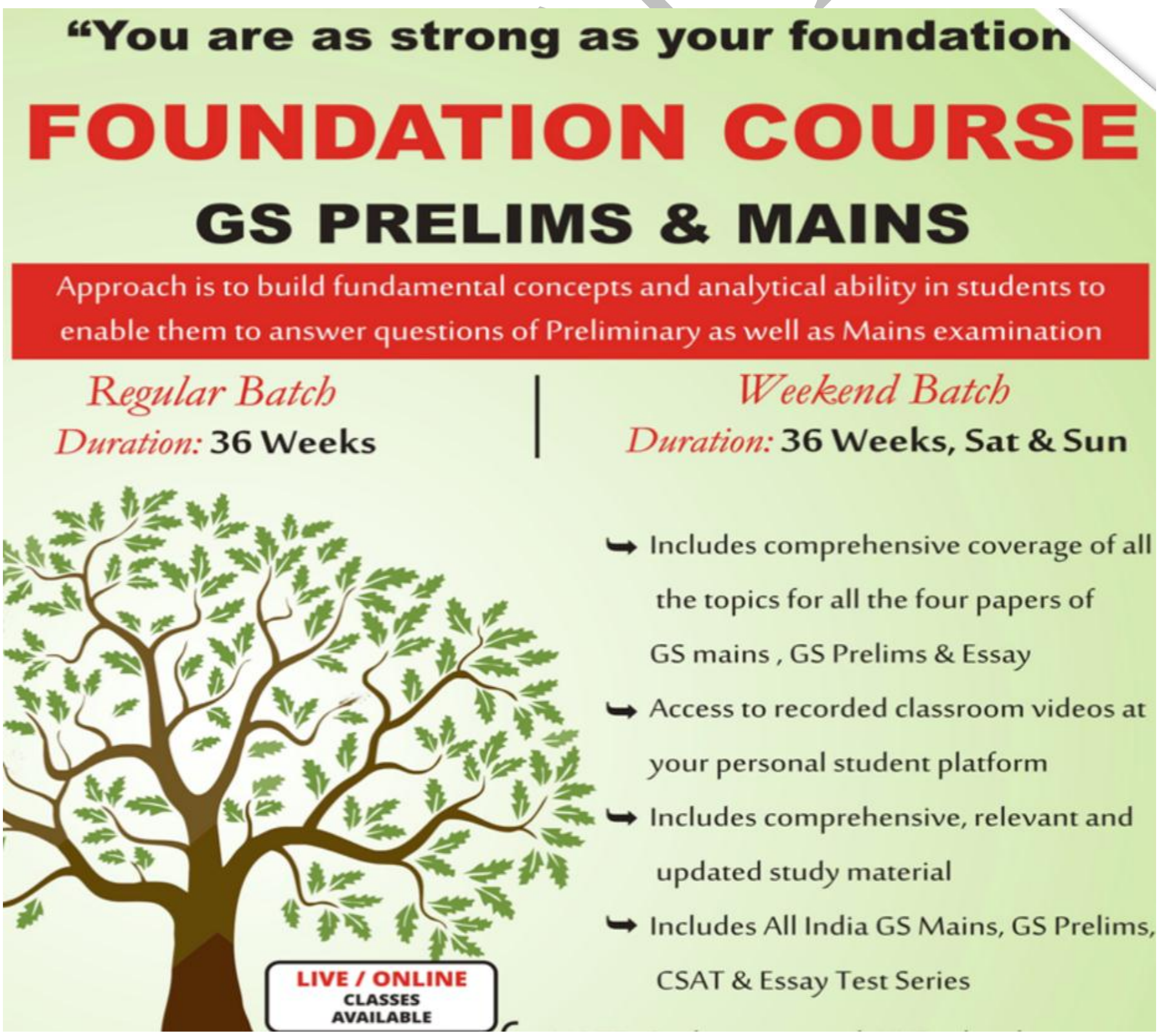

3. बैंकिंग के संरचनात्मक और कार्यात्मक समस्याओं को सुलझाना

[Solving the Structural and Functional Problems of Banking]

Recognition: Banks must value their assets as far as posible close to true value (recognition) as the RBI has been emphasizing

Recapitalization: once they do so, their capital position must be safeguarded via infusions of equity (recapitalization) as the banks have been demanding;

Resolution: the underlying stressed assets in the corporate sector must be sold or rehabilitated (resolution) as the government has been desiring

Reform: and future incentives for the private sector and corporates must be set right (reform) to avoid a repetition of the problem, as everyone has been clamouring.

3.1. मान्यता

[Recognition]

3.1.1. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

[Financial Stability Report]

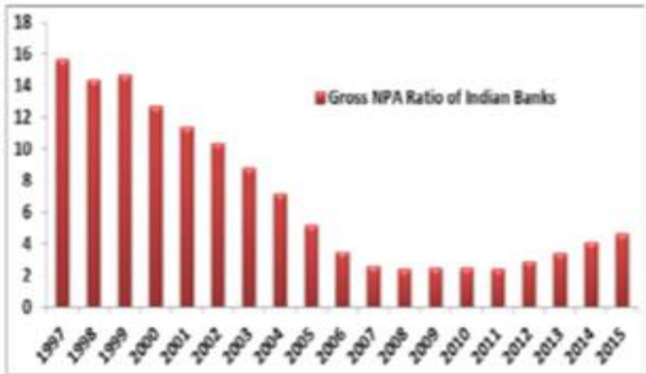

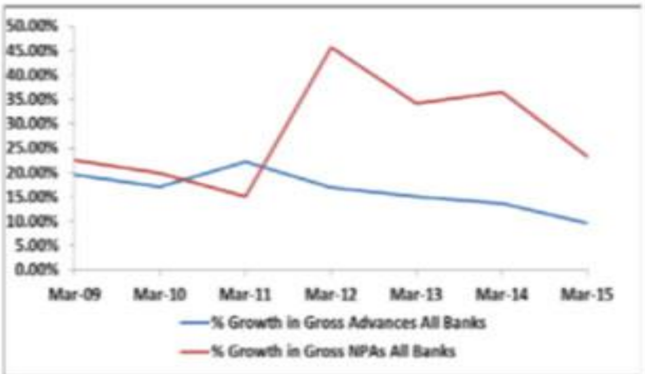

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (या GNPAs) के स्तर में तीव्र वृद्धि हुई है, यह सितंबर 2015 में 5.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2016 में 7.6 प्रतिशत हो गयी। यह RBI द्वारा की गयी परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (asset quality review) के कारण हुआ है, जिसमें पुनर्गठित कर्ज का NPA के रूप में पुनर्वर्गीकरण शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों, निजी क्षेत्रक के बैंकों और विदेशी बैंकों की दबावग्रस्त परिसंपत्तियां (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और पुनर्गठित ऋण) क्रमशः 14%, 4.6% तथा 3.4% हैं।

BAD LOANS AT LAST COUNT: Rs 3 LAKH CRORE

- For year-ending March 2015, gross NPAs of scheduled commercial banks stood at Rs 3.02 lakh crore in absolute terms, or 4.6 per cent of advances. Six months later, this rose to 5.1 per cent.
- The stressed advances ratio – bad loans plus loans that have been restructured by banks – increased to 11.3 per cent in September 2015 from 11.1 per cent in March.
- Private estimates of stressed assets are much higher, and vary between 17.5 per cent and a quarter of all bank advances.

3.1.2. दबावग्रस्त परिसंपत्तियां

[Stressed Assets]

- केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की योजना हेतु कुछ दिशा निर्देश जारी किये हैं।
- **परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा:** केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को प्रावधानिकरण (provisioning) आवश्यकता में तेजी लाने का निर्देश दिया है और बैंकों से अग्र सक्रिय होकर दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की पहचान करने को कहा है।
- इससे बैंक की बैलेंस शीट द्वारा सही और स्पष्ट तस्वीर का दर्शाया जाना सुनिश्चित होगा।
- इस परिमार्जन कार्य और अधिक प्रावधानिकरण के माध्यम से, बैंक दबाव का प्रबंधन करने की स्थिति में होंगे।
- RBI ने अक्टूबर-दिसंबर के दौरान संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा की और बैंकों से प्रत्यक्ष रूप से दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) के रूप में करने के लिए कहा।

दबावग्रस्त आस्तियां बनाम गैर-निष्पादित आस्तियां (NPA)

- दबावग्रस्त परिसंपत्ति- वह खाता, जिसमें मूलधन और/या ब्याज 30 से अधिक दिनों तक अतिदेय बना रहता है।
- NPA- ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि तक अतिदेय बना रहता है।

आगे की राह

- दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को तुरंत NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
- कुछ दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए शर्तों, नियमों, और सभवत: प्रोमोटर्स को बदलने की आवश्यकता है और इससे समय पर मूल्य की उचित राशि का पुर्नभुगतान हो सकता है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव है और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसे कठोर किए जाने की आवश्यकता है।

इकाई या व्यक्ति जिसने चुकाने की क्षमता के बावजूद ऋण का पुर्नभुगतान नहीं किया है:

RBI के विनियमनों के अनुसार, जान-बूझकर चूक (willful default) में कई व्यापक क्षेत्र सम्मिलित हैं: पर्याप्त नकदी प्रवाह और अच्छे नेटवर्थ के बावजूद बकाया राशि का जानबूझकर भुगतान न करना, चूक करने वाली इकाई की हानि के लिए फंड से बेईमानी से पैसा निकालना, परिसंपत्तियों और प्राप्तियों का दुरुपयोग करना, मिथ्या प्रस्तुति/अभिलेखों का मिथ्याकरण; बैंक की जानकारी के बिना प्रतिभूतियों का निपटान/स्थानान्तरण; उधारकर्ता द्वारा धोखाधड़ी भरा लेन-देन।

3.1.3. विलफुल डिफाल्टर

[Willful Defaulters]

- विलफुल डिफाल्टर पर PSUs बैंकों का कुल 64,335 करोड़ रुपया या कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का 21 प्रतिशत बकाया है।
- बैंक अपने द्वारा संवितरित ऋणों पर दबाव के आरंभिक संकेतों पर ध्यान देने में "स्पष्ट रूप से विफल" रहे हैं।
- बैंकिंग उद्योग में NPA में सबसे तीव्र वृद्धि मध्य आकार के कॉरपोरेट्स की देखी गई है।

विलफुल डिफाल्टर के संबंध में वित्त मामलों संबंधी स्थायी समिति की अनुशंसाएं:

- वित्त मामलों संबंधी स्थायी समिति ने अनुशंसा की है कि राज्य के स्वामित्वाधीन बैंक विलफुल डिफाल्टर **से जुड़े अपने संबंधित शीर्ष 30 खातों का नाम सार्वजनिक करें।**
- यह **निवारक (deterrent)** के रूप में कार्य करेगा और वसूली के लिए या ऋण की आगे मंजूरी देने में प्रोमोटर्स से निपटने में विभिन्न पक्षों द्वारा दिए जाने वाले दबावों और किए जाने वाले हस्तक्षेपों का सामना करने में बैंकों को समर्थ बनाएगा।
- समिति ने RBI अधिनियम और अन्य कानूनों और दिशा-निर्देशों में संशोधन की अनुशंसा की है।
- समिति दोनों मोर्चों पर, RBI के स्तर पर और बैंकों के स्तर पर, समस्या के प्रबंधन से प्रसन्न नहीं है।
- बैंकों द्वारा अपनी दबावग्रस्त परिसंपत्तियां कम करने और अपनी बैलेंस शीट के परिमार्जन की तत्काल आवश्यकता है ताकि वे अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएं।
- विशिष्ट कार्य समितियों को बड़े ऋण पोर्टफोलियो की स्थिति पर निरंतर दृष्टि रखने और निष्कर्षों के संबंध में सरकार और संसद के समक्ष समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए।

3.2. पुनर्पूंजीकरण

[Recapitalization]

I. संशोधित मानदंडों के कारण बैंकों को 40000 करोड़ रूपए उपलब्ध होंगे

- आर्थिक संवृद्धि को पूर्वरूप में लाने हेतु PSBs द्वारा प्रदत्त ऋणों को 12% के स्तर तक लाना होगा, साथ ही बेसल III के मानदंडों पर खरे उतरने के लिए मार्च 2019 के अंत तक 2.4 ट्रिलियन रूपए की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी।

- RBI ने बैंकों की **नियामक पूंजी निर्धारित करने के प्रयोजन से बैलेंस शीट की कुछ विशेष मदों के संव्यवहार** में कुछ संशोधन किए हैं।
- प्रस्तुत संशोधन में रिवैल्यूएशन रिज़र्व को मान्यता प्रदान की गयी है, जो पूर्व के टीयर 2 पूंजी की बजाय कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी के रूप में के रिवैल्यूएशन से बैंक द्वारा वहन की जाने वाली परिसंपत्ति में हुए परिवर्तन से उत्पन्न हुआ है।
- बैंक अब विदेशी मुद्रा भंडार को मान्यता प्रदान कर सकते हैं, जोकि कॉमन इक्विटी टीयर -1 (CET1) पूंजी के विदेशी परिचालन संबंधी वित्तीय विवरणों के अंतरण से उत्पन्न होता है।
- **मानदंड में संशोधन का प्रभाव**
- इसने नियामक पूंजी की परिभाषा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंगीकृत बेसल III पूंजी मानकों के साथ तालमेल स्थापित किया है।
- इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 35,000 करोड़ रूपए की पूंजी और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की पूंजी जारी होगी।

II. उठाए गए अन्य कदम

- अगस्त, 2015 में, सरकार ने आने वाले चार वर्षों में बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 70,000 करोड़ रुपये की घोषणा की।
- इंद्रधनुष योजना।

टीयर 1 पूंजी, बैंक की मूलभूत (core) पूंजी होती है जबकि टियर 2 पूंजी बैंक की अनुपूरक पूंजी होती है। बैंक की कुल पूंजी की गणना उसकी टियर 1 और टियर 2 पूंजी को जोड़कर की जाती है।

टियर 1: यह अनिवार्य रूप से वह पैसा है जिसे बैंक ने अपने सभी जोखिम भरे लेनदेन- जैसे व्यापार करना/निवेश करना और उधार देना- के दौरान भी कार्य करते रहने के लिए जमा किया है। यह मुख्य रूप से, घोषित रिजर्व (बनाई रखी गई आय (retained earning) के रूप में भी जाना जाता है) और सामान्य स्टॉक से मिलकर बनती है।

टियर 2: यह अधिक जोखिम भरी होती है। इसमें पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, अघोषित रिजर्व, संकर उपकरण और गौड़ सावधि ऋण (revaluation reserves, undisclosed reserves, hybrid instruments and subordinated term debt) जैसे मद होते हैं।

3.3. NPA समस्या का समाधान

[Resolving the NPA Problem]

3.3.1. दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की संधारणीय संरचना योजना (S4A)

[Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)]

- बड़े ऋण वाली जिन परियोजनाओं का वाणिज्यिक संचालन शुरू हो गया है, केवल वे ही S4A के लिए योग्य होंगी।
- यहां उधारदाताओं के लिए गैर-संधारणीय ऋण से संधारणीय ऋण अलग करने की आवश्यकता हैं। बैंक गैर-संधारणीय ऋणों को इक्विटी या इक्विटी संबंधित उपकरणों में परिवर्तित करेंगे।
- परिणामस्वरूप, जहां एक ओर उधारकर्ता का ऋण बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर प्रोमोटर्स की इक्विटी हिस्सेदारी भी कम हो जाएगी।
- इस योजना के पीछे का विचार यह है कि यदि कंपनी अपना पुराना गौरव पुन: प्राप्त करती है तो बैंक लाभ में रहेंगे और साथ ही यह प्रोमोटर्स को कंपनी पुनर्जीवित करने हेतु एक दूसरा अवसर भी प्रदान करती है।

विशेषताएँ

- परियोजनाओं के नकदी प्रवाह के आधार पर बैंक संघर्षरत कंपनियों के कुल ऋणों को संधारणीय और गैर-संधारणीय में विभाजित कर सकते हैं।
- गैर-संधारणीय ऋण को इक्विटी या परिवर्तनीय प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि संधारणीय ऋण 50% से कम नहीं होना चाहिए।
- एक बार गैर-संधारणीय ऋण के इक्विटी में बदल जाने के बाद, बैंक यह हिस्सेदारी नए मालिक को बेच सकते हैं जिसके पास एक अधिक प्रबंधनीय ऋण के साथ व्यापार को चलाने का अवसर होगा।
- निगरानी समिति (Overseeing Committee-OC) नामक एक सलाहकार निकाय का गठन किया जाएगा जो बैंकों द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना की समीक्षा करेगी। यह दिशा-निर्देशों की तर्कसंगतता और उनके अनुपालन की जांच करेगी और इस पर अपनी राय देगी।
- कम से कम 500 करोड़ रुपये की ऋण वाली परियोजनाएँ, जिनका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है, वे ही इस योजना के तहत पुनर्संरचना की पात्र हैं।
- बाहरी सलाहकार द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (TEV) अध्ययन के माध्यम से व्यवहार्य परियोजना के रूप में इसे पुष्टि मिलनी चाहिए और फॉरेंसिक लेखा परीक्षा द्वारा प्रोमोटर्स को क्लीन चिट दी जानी चाहिए।
- बैंकर संधारणीय ऋण की शर्तों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं।

3.3.2. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी

[Asset Reconstruction Company]

- बढ़ती अनर्जक परिसंपत्तियों से निपटने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने सरकार और RBI से इक्विटी फंडिंग द्वारा एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) की स्थापना करने की सिफारिश की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक **सरकारी उद्देश्यों** के तहत **सामाजिक बैंकिंग** के दबाव के कारण ऋण देने के लिए मजबूर हैं। परिणामस्वरूप इनका प्रदर्शन निजी बैंकों की तुलना में ख़राब रहता है।
- ARCs के लिए स्वचालित मार्ग के तहत **100%** FDI की अनुमति।

3.3.3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए अन्य कदम

[Other Steps Taken by RBI]

- **5:25 योजना:** यह बैंकों को विभिन्न परियोजनाओं में नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए, प्रत्येक 5 या 7 वर्षों में पुनर्वित्तीयन के साथ, 20-25 वर्षों की लंबी अवधि के ऋण देने की अनुमति देती है।
- कॉम्प्रोमाईज़ सेटलमेंट स्कीम।
- रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (Strategic Debt Restructuring: SDR) - उधारदाताओं का समूह किसी बीमार कंपनी में अपने ऋण के एक हिस्से को इक्विटी में बदल सकता है; इसके लिए उधारदाताओं के पास कम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
- कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (CDR) तंत्र और संयुक्त ऋणदाता फोरम।

3.3.4. गैर निष्पादक परिसंपत्तियों से निपटने के लिए बैंकरों को क्षतिपूर्ति

[Indemnity for Bankers to Tackle NPAs]

यह किसी व्यक्ति को उसके किसी कृत्य की वजह से उत्पन्न होने वाले कानूनी उत्तरदायित्व के प्रति उसे प्राप्त सुरक्षा या छूट को दर्शाता है।

सरकार द्वारा प्रस्ताव

- वित्त मंत्रालय गैर निष्पादक परिसंपत्तियों के एक साथ निपटान के लिए काम कर रहे बैंकरों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की संभावना पर विचार कर रहा है।
- इससे ऋण निपटान और वास्तविक वाणिज्यिक निर्णय पर विचार करने के लिए बैंकरों को एक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराने की उम्मीद है।
- वित्त मंत्री, RBI के अधिकारी, बाहरी विशेषज्ञों और न्यायाधीशों की एक समिति ऋण निपटान प्रस्तावों की जांच करेगी।

VISION IAS

निष्कर्ष

- कुछ परिसंपत्तियों को हानिग्रस्त परिसंपत्ति मानकर उन्हें बही-खाता से हटा देना चाहिए, भले ही लिक्विडेशन (liquidation) के माध्यम से थोडा बहुत ही पाने के प्रयास किये जा रहे हों।
- नया दिवालियापन कोड एक संभावित गेम चेंजर है, लेकिन इसके परिचालित होने में समय लग सकता है।
- रणनीतिक कर्ज पुनर्गठन (SDR), परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (ARC), राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF), दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की संधारणीय संरचना की योजना (S4A) जैसे विचारों के लिए पुनर्गठित परियोजना को आकर्षक बनाने हेतु बैंकों को मौजूदा ऋण में पर्याप्त कटौती करने की जरुरत है।
- निजी भागीदारों की सहायता से परिचालित होने वाला, प्रस्तावित राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) वस्तुतः SDR तंत्र के माध्यम से चल रही दबावग्रस्त अवसंरचना परियोजनाओं के लिए इक्विटी और नए ऋण प्रदान करेगा।

3.4. सुधार

[Reforms]

3.4.1. इंद्रधनुष

[Indradhanush]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने सात सूत्रीय योजना बनाई है।

बैंक बोर्ड ब्यूरो

- पिछले साल अगस्त में सात सूत्री इंद्रधनुष योजना के हिस्से के रूप में ब्यूरो की घोषणा की गई थी।
- ब्यूरो में अध्यक्ष के अलावा तीन पदेन सदस्य और तीन विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

प्रकार्य और प्रभाव

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में नेतृत्व के पदों और बोर्ड में नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए।
- ऋणदाताओं हेतु धन जुटाने के लिए और विलय और अधिग्रहण के तरीकों पर सलाह देने के लिए।
- यह शासन में सुधार के द्वारा संकटग्रस्त PSBs में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- नेतृत्व के पदों पर नियुक्ति में पेशेवर तरीकों को अपनाने के साथ बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक निवेश कंपनी की दिशा में पहला कदम है जैसा कि पी. जे. नायक समिति ने सिफारिश की थी।

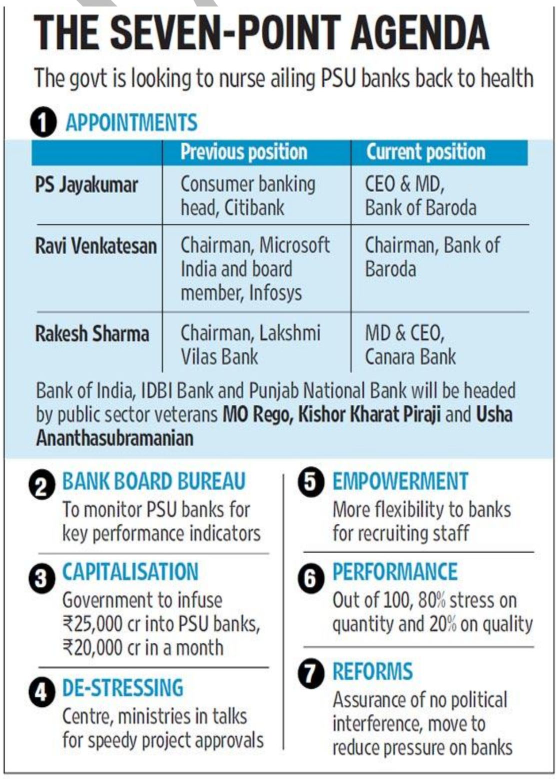

THE SEVEN-POINT AGENDA

The govt is looking to nurse ailing PSU banks back to health

1 APPOINTMENTS

	Previous position	Current position
PS Jayakumar	Consumer banking head, Citibank	CEO & MD, Bank of Baroda
Ravi Venkatesan	Chairman, Microsoft India and board member, Infosys	Chairman, Bank of Baroda
Rakesh Sharma	Chairman, Lakshmi Vilas Bank	MD & CEO, Canara Bank

Bank of India, IDBI Bank and Punjab National Bank will be headed by public sector veterans **MO Rego, Kishor Kharat Piraji** and **Usha Ananthasubramanian**

2 BANK BOARD BUREAU
To monitor PSU banks for key performance indicators

3 CAPITALISATION
Government to infuse ₹25,000 cr into PSU banks, ₹20,000 cr in a month

4 DE-STRESSING
Centre, ministries in talks for speedy project approvals

5 EMPOWERMENT
More flexibility to banks for recruiting staff

6 PERFORMANCE
Out of 100, 80% stress on quantity and 20% on quality

7 REFORMS
Assurance of no political interference, move to reduce pressure on banks

चुनौतियाँ

- इस फ्रेमवर्क के अनुसार सरकार इन बैंकों में अगले चार सालों में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, लेकिन पी.जे. नायक समिति की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2014 से मार्च 2018 के बीच अर्थात् लगभग चार वर्षों के दौरान बैंकों को लगभग 5.87 लाख करोड़ टियर -1 पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वास्तव में सरकार PSBs की जो वर्तमान स्थिति है उसकी मांग के अनुरूप निवेश नहीं कर रही है।
- नायक समिति ने वरिष्ठ बैंकरों से समावेशित एक बैंक बोर्ड ब्यूरो का प्रस्ताव किया था। इंद्रधनुष के तहत, सरकार का प्रतिनिधित्व बैंक बोर्ड ब्यूरो में होगा। इसके अलावा, इसमें विनिवेश के लिए कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।
- विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि वास्तविक सुधार सभी बैंकों के स्वामित्व को एक होल्डिंग कंपनी में निहित करने में है, जिसके बोर्ड में सत्यनिष्ठ पेशेवर शामिल हों। यह PSB बोर्डों का चयन कर सकती है और उनके कार्य की निगरानी कर सकती है।

3.4.2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन और विलय

[PSB Consolidation and Merger]

> **Why the need?** A bigger SBI capable of taking on global giants when banking sector is opened up in future. Large banks to get benefits of scale, better diversification of risks and higher profitability

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1991 के बाद से, नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के साथ बड़े बैंक बनाने की मांग उठी है। ज्ञान संगम (वार्षिक बैंकर सम्मेलन) के दूसरे संस्करण में भी बैंकों के समेकन की आवश्यकता पर चर्चा हुई।
- इस समय, गैर निष्पादनकारी संपत्तियों की अधिकता (**High NPAs**) की वजह से समेकन की माँग ज्यादा उठ रही है, क्योंकि NPAs सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता कम कर रहे हैं और सरकार पर उनके पूंजीकरण का दबाव है।

लाभ और हानि (SBI का उदाहरण के रूप में प्रयोग)

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की उसकी 5 सहायक कंपनियों और भारतीय महिला बैंक (BMB) के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

लाभ

- घरेलू और वैश्विक उपस्थिति में वृद्धि, पूरे भारत में SBI की नेटवर्किंग में वृद्धि।
- परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी - जमा करने की क्षमता में भारी वृद्धि: SBI डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सौर ऊर्जा, सागरमाला आदि जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एंकर बैंकों में से एक बन सकता है।
- यह दोहराव को कम करेगा क्योंकि SBI और उसके सहयोगी एक समान उत्पादों के साथ समान ग्राहकों को लक्षित करेंगे।
- यह संसाधनों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, संचालन पर लागत को कम करेगा, प्रबंधकीय पदों, बैंक शाखाओं की ओवरलैपिंग को कम करने जैसे मानव संसाधन और तकनीकी समाधान देगा, अंतर-बैंकिंग लेन-देन की लागत को कम करने आदि में मदद करेगा।

मुद्दे

- वर्तमान में इन सभी बैंकों के पास उच्च गैर-निष्पादनकारी संपत्ति है, इसलिए पर्याप्त पूंजी डालने के बाद ही इस प्रकार के विलय की योजना बनाई जानी चाहिए।
- इससे बैंकिंग प्रतिद्वंदिता प्रभावित होगी क्योंकि SBI अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों से पांच गुना बड़ा हो जायेगा।
- इससे क्षेत्रीय पहचान पर असर पड़ेगा जिससे क्षेत्रीय फोकस समाप्त हो सकता है।
- बड़े बैंक जोखिमों के समेकन के कार्य को भली-भांति निष्पादित करते हैं, उदाहरण के लिए 2007 का वैश्विक वित्तीय संकट।
- भारत में बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार करने के लिए समेकन की तुलना में अधिक बैंकिंग प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है।
- कर्मचारियों की चिंताएं- वरिष्ठता की कटौती की संभावनाओं के कारण पदोन्नति पर प्रभाव, शाखाओं के युक्तिकरण के कारण स्थानांतरण।
- विलय पर सरकार का ख़राब रिकॉर्ड, जैसे कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मामले में।

सुझाव

- सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सभी हितधारकों को प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
- और अधिक विनिवेश की स्थिति में, सरकार को अपनी हिस्सेदारी किसी भी मामले में 51% से कम नहीं करना चाहिए।
- अधिग्रहणकर्ता बैंक को छोटे बैंकों पर हावी नहीं होना चाहिए, दोनों की अच्छी कार्यप्रणालियों को संयोजित किया जाना चाहिए; मतभेदों के संश्लेषण के लिए जागरूक और संगठित प्रयास किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

बैंक समेकन एक पेचीदा मुद्दा है। हालांकि यह कहा जाता है कि समेकन के दीर्घकालिक लाभ अल्पकालिक चिंताओं से अधिक हैं, लेकिन इसे एक सामान्य नीति नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा केवल उचित सुरक्षा उपायों के साथ, सही उद्देश्य के लिए सही बैंकों के साथ किया जाना चाहिए।

VISION IAS

3.4.3. घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs)

(Domestic Systemically Important Banks [D-Sibs]

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने हाल ही में भारत के सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक SBI तथा निजी क्षेत्रक के बैंक ICICI की घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) के रूप में पहचान की है।

यह क्या है?

- SIBs को वस्तुतः देश में कुछ बड़े बैंकों के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इन बैंकों पर निर्भर होती है। इन्हें कथित तौर पर 'Too Big To Fail (TBTF) की संज्ञा दी जाती है, इसका कारण यह है कि संकट के समय में इन बैंकों को सरकार के समर्थन की उम्मीद होती है।
- इस धारणा के कारण ये बैंक वित्तीय बाजार निश्चित लाभ की स्थिति में होते हैं।
- SIBs के दो प्रकार हैं:-
  - वैश्विक SIBs; इनकी पहचान बैंकिंग पर्यवेक्षण पर BASEL समिति द्वारा की जाती है।
  - घरेलू SIBs; इनकी पहचान देश के केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है।

SIB से जुड़े मुद्दे

- इस तरह की कथित उम्मीदों के कारण ऐसे बैंकों द्वारा लापरवाही पूर्ण प्रवृत्तियाँ अपनायी जा सकती हैं- जैसे कि जोखिम उठाने में वृद्धि, अपने बाजार अनुशासन में कमी, विकृत प्रतिस्पर्धा आदि। इससे ये भविष्य में संकट की संभावना को बढ़ा सकते हैं।
- इसलिए, यह आवश्यक है कि SIBs प्रणालीगत जोखिम और उनके द्वारा उत्पन्न नैतिक जोखिम के खतरे से निपटने के लिए अतिरिक्त नीतिगत उपायों के अधीन हों।
- उन्हें वित्तीय आपात स्थिति का सामना करने के लिए अतिरिक्त पूंजी/बैकअप रखने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ताकि संकट के दौरान करदाताओं के पैसों को उन्हें बचाने में बर्बाद न किया जाए।

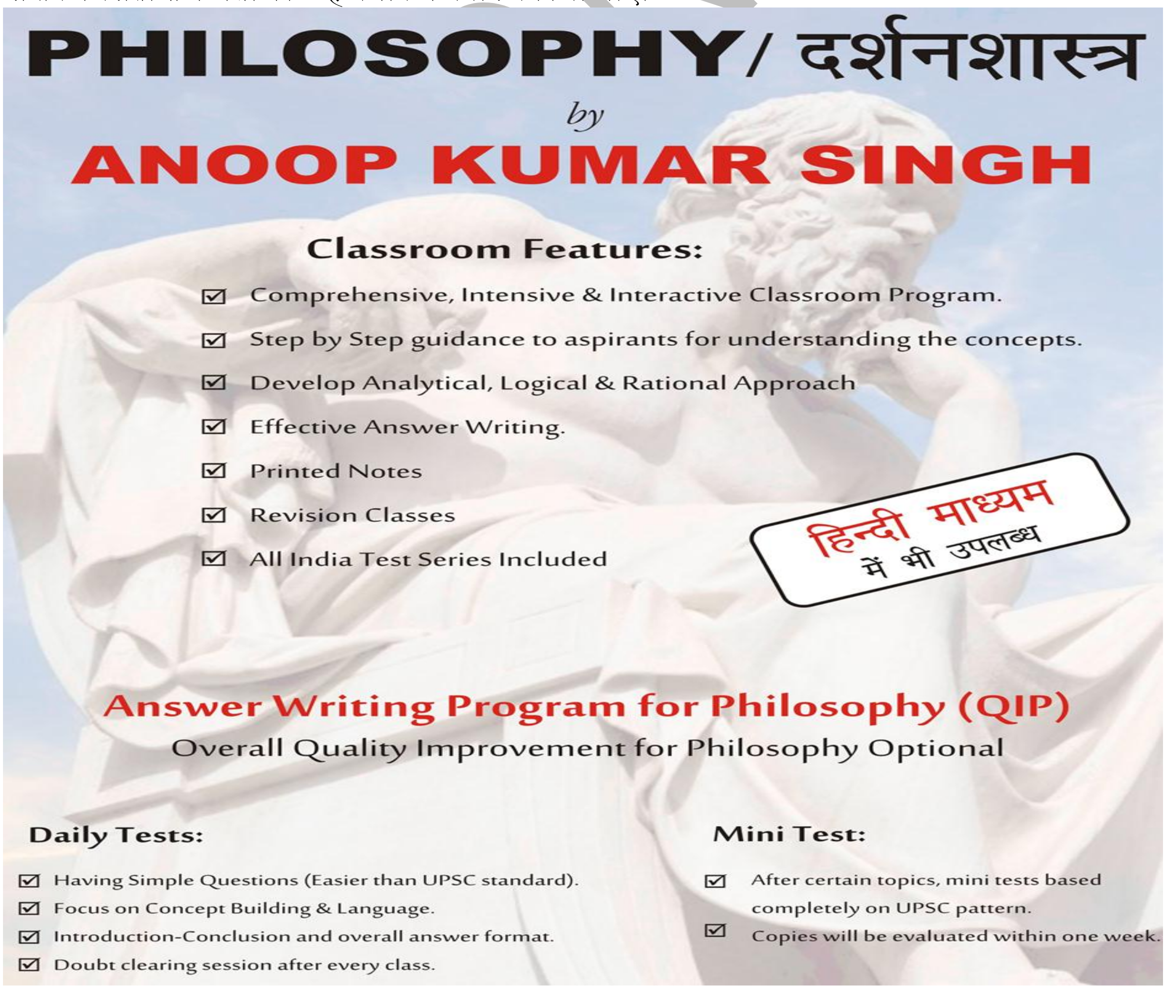

4. वित्तीय विनियमन

[Financial Regulation]

वित्तीय विनियमन के दो पहलू होते हैं:

A. आंतरिक विनियमन

- पर्यवेक्षण या निगरानी अधिरोपित करने एवं विवादों के समाधान हेतु - सीमेंट कंपनियों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जुर्माना, कॉरपोरेट धोखाधड़ी के लिए एजेंसी, ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (इस सन्दर्भ में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस खंड में विस्तृत चर्चा की गयी है) इत्यादि।
- वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु विनियमन (सेबी द्वारा REITs आदि हेतु नियमों में ढील इत्यादि)

B. बाह्य विनियमन

- संरक्षात्मक: विनिमय दर में अस्थिरता को कम करने हेतु (FCNR का निर्णय), मनी लांड्रिंग को रोकने के लिए (सेबी के मानदंड)।

4.1. आंतरिक विनियमन: ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2015

[Internal Regulation: Insolvency and Bankruptcy Code, 2015]

- टी. के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में दिवालियापन कानून सुधार समिति (BLRC) ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (**IBC**) नामक मसौदा विधेयक के साथ अपनी रिपोर्ट दी।
- इस संहिता का उद्देश्य दिवालियापन के मामलों में होने वाले विलम्ब को कम करना एवं उधार दी गई धनराशि की वसूलियों में सुधार करना है। (विवरणों के लिए **5.2** का सन्दर्भ लीजिए।)

4.2. आंतरिक विनियमन: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा सीमेंट कंपनियों पर व्यावसायी गुटबंदी के लिए जुर्माना।

(Internal Regulation: CCI Imposes Penalties upon Cement Companies for Cartelisation)

CCI ने 10 सीमेंट कंपनियों तथा उनके व्यापार संगठन अर्थात सीमेंट निर्माता संघ (CMA) पर जुर्माना लगाया है।

कारण

- CCI के अनुसार सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट निर्माता संघ (CMA) द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफार्म का उपयोग कर मूल्य, क्षमता उपयोग, उत्पादन एवं प्रेषण से संबंधित विवरणों को साझा किया और इस प्रकार बाजार में उत्पादन और आपूर्तियों को बाधित किया।
- इसके अतिरिक्त, CCI ने सीमेंट कंपनियों को सीमेंट की कीमतें तय करने में एक साथ मिलकर काम करते हुए भी पाया।

महत्व

- कंपनियों और CMA की ऐसी कार्यवाहियाँ उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं।
- यह पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि विनिर्माण और अवसंरचना उद्योग में सीमेंट एक महत्वपूर्ण आगत (इनपुट) है, और यह आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक है।

4.3. आंतरिक विनियमन: कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए विशेष एजेंसी

(Internal Regulation: Special Agency for Corporate Fraud)

पृष्ठभूमि

- कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) के गठन का प्रावधान किया गया है। इसे आधिकारिक घोषणाएँ जारी करने और ऑडिट व्यवसाय को विनियमित करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- वर्तमान में, यदि धोखाधड़ी एक निश्चित राशि से कम की है तथा इसमें कोई लेखा परीक्षक सम्मिलित है तो इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया (ICAI) को ऐसे मामलों में जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्राधिकार प्राप्त है।

- कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए एक एजेंसी का सुझाव सबसे पहले **सत्यम कंप्यूटर्स मामले** के बाद दिया गया था। उस अपराध में एक लेखा परीक्षक भी सम्मिलित था।
- एक अन्य महत्वपूर्ण मामला **एंट्रिक्स-देवास का मामला** है।
- 2011 में लीक हुई ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ने इसरो के एन्ट्रिक्स और देवास मल्टीमीडिया के बीच हुए अनुबंध की संभावित अनियमितताओं पर प्रकाश डाला।
- इसके कुछ ही समय बाद, ISRO ने अनुबंध रद्द कर दिया। हेग में स्थित स्थायी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अनुबंध रद्द करने के सन्दर्भ में भारत सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया और देवास को क्षतिपूर्ति के लिए लगभग 4400 करोड़ रुपये देने का निर्णय दिया।

प्रस्तावित संस्था का विवरण

- यह 2013 के कंपनी एक्ट के प्रावधानों के तहत बनाई जायेगी।
- यह संस्था स्वयं-संज्ञान से या केंद्र द्वारा निर्दिष्ट करने पर, रु. 500 करोड़ और उससे ऊपर या कतिपय वर्गों में सूचीबद्ध कंपनियों के लेखा व जमाखातों में धोखाधड़ी की जांच का अधिकार रखेगी।
- इसके पास फोरेंसिक विशेषज्ञ होंगे।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को विनियमित करने में इसकी व्यापक भूमिका होगी।

फारेंसिक लेखा-परीक्षा क्या है?

फारेंसिक लेखा-परीक्षा एक व्यक्ति या कंपनी के वित्तीय विवरणों की सत्यता और वैधता निर्धारित करने के लिए निरीक्षण की एक प्रक्रिया है। इसका प्रयोग कॉर्पोरेट लेखांकन धोखाधड़ी का पता लगाने में होता है।

4.4. आंतरिक विनियमन: सेबी ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) और अपतटीय कोष प्रबंधकों के लिए नियमों में ढील दी

(Internal Regulation: SEBI Relaxes Rules for REITs, Offshore Fund Managers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) संबंधी नियमों में ढील दी है। इसके तहत REIT को निर्माणाधीन परियोजनाओं में अधिक निवेश की अनुमति दी गयी है, संबंधित-पक्ष लेनदेन (related-party transaction) पर यूनिट धारक की सहमति को युक्तिसंगत बनाया गया है और किसी स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) को किसी दूसरे SPVs में निवेश करने को लेकर विद्यमान प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

- निर्माणाधीन परियोजनाओं में REIT की निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गयी है।
- सेबी ने REIT प्रायोजकों (sponsors) की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है; अभी तक इसकी अधिकतम संख्या तीन है।
- संबंधित-पक्ष लेनदेन के समाशोधन (क्लीयरिंग) और प्रस्ताव पारित करने के लिए जरूरी शेयरधारकों की संख्या के संबंध में भी अतिरिक्त छूट प्रस्तावित है।
- सेबी बोर्ड ने अपतटीय कोष प्रबंधकों को भारत में पात्रता देने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक विनियमों में परिवर्तन को मंजूरी दे दी है।
- हालांकि, निर्माणाधीन परियोजनाओं में REIT के अधिक निवेश की अनुमति से REIT की पहचान के ही कमज़ोर होने की आशंका है।
- विश्व स्तर पर, REIT केवल स्थिर परिसंपत्तियों से बना है। अधूरी परियोजनाओं में अधिक निवेश की अनुमति से निवेश पर मुनाफे (रिटर्न) में वृद्धि हो सकती है लेकिन दूसरी तरफ जोखिम भी बढ़ेगा।

4.5. बाह्य विनियमन: FCNR पर RBI के कदम को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की मंजूरी

[External Regulation: RBI's Steps on FCNR Get FSDC NOD]

पृष्ठभूमि

- 2013 में रुपया डॉलर के मुकाबले 68.85 पर अपने सबसे निचले स्तर पर था और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा क्वांटीटेटिव इजिंग की आशंका से मुद्रा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव की आशंका विद्यमान थी।
- इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को विदेशी मुद्रा जमाओं (जैसे कि: FCNR, अपतटीय कॉर्पोरेट ऋण आदि) में बढ़ोत्तरी करने को कहा ताकि विदेशी मुद्रा भंडार में और वृद्धि हो सके।

- बैंकों ने FCNR के माध्यम से लगभग 34 अरब डॉलर जुटाए।
- इसके बाद रिज़र्व बैंक ने फॉरवर्ड डॉलर की खरीदारी कर आगे की रणनीति के लिए खुद को तैयार किया।

FCNR खाता क्या है?

यह एक प्रकार का टर्म डिपॉज़िट (सावधि जमा) खाता है जो विदेशी मुद्रा में अनिवासी भारतीयों (NRIs) और भारतीय मूल के लोगों (PIOs) द्वारा खोला जाता है। इस प्रकार FCNR बचत खाता नहीं होते हैं बल्कि सावधि जमा खाता होते हैं।

इस खाते में कौन-सी विदेशी मुद्राओं को रखा जा सकता है?

स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय किसी भी विदेशी मुद्रा को इसमें रखा जा सकता है, जैसे- अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग (GBP), यूरो, जापानी येन, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोना आदि।

मुद्दे

- 2013 के अधिकांश FCNR जमा इस साल देय हैं।
- RBI का अनुमान है कि इन जमाओं की परिपक्वता से करीब 20 मिलियन डॉलर का बहिर्प्रवाह होगा।
- RBI ने डॉलर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वैप तथा फॉरवर्ड (विनिमय और वायदा) की व्यवस्था की है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर रह सके।
- FSDC ने इस कदम को मंजूरी दे दी है।

प्रभाव

- अचानक बहिर्प्रवाह के कारण बैंकों की जमाओं में कमी आ सकती है।
- रूपए की तुलना में विदेशी मुद्राओं की माँग में वृद्धि से तरलता में कुछ कमी आएगी।
- चूंकि स्वैप तथा फॉरवर्ड की व्यवस्था सही समय पर नहीं हुई, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़े समय के लिए कुछ कमी दिख सकती है।

4.6. बाह्य विनियमन: काले के धन के अंतर्वाह पर अंकुश लगाने के लिए सेबी (SEBI) ने नियमों को सख्त किया

[External Regulation: SEBI Tightens Norms to Curb Black Money Inflow]

- देश में काले धन के अंतर्वाह को रोकने के लिए SEBI ने हाल ही में कुछ नए उपाय अपनाये हैं। इन उपायों में पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) या विदेशी व्युत्पन्न उपकरणों (ODIs) जारी करने के मानदंडों को सर्वोच्च न्यायालय के निरीक्षण में कार्य करने वाले 'काले धन पर विशेष जांच दल (SIT)' की अनुशंसाओं के अनुरूप सख्त करना समाहित है।
- घरेलू निवेशकों के समतुल्य लाने के लिए सेबी ने इन उपकरणों के धारकों के लिए 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC)' मानदंड का अनुपालन आरम्भ किया है और साथ ही इसने इन साधनों के अंतिम लाभार्थियों के संबंध में जानकारी की मांग भी की है।
- यदि इस प्रकार के विदेशी व्युत्पन्न उपकरण (ODIs) हस्तांतरित किए जाते हैं, तो जारीकर्ता को मांगे जाने पर इस तरह के हस्तांतरणों का मार्ग (trail) SEBI को देना चाहिए।

विदेशी व्युत्पन्न उपकरण (ODIs) क्या हैं?

- **विदेशी व्युत्पन्न उपकरण** (ODIs) ऐसे निवेश साधन हैं जिनका उपयोग विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी या इक्विटी व्युत्पन्नों के लिए किया जाता है।
- ये निवेशक कई बार अनिच्छुक होने के कारण और कई बार विनियामक प्रतिबंधों के कारण SEBI के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं।

4.7. नियामकीय प्रभाव आकलन

(Regulatory Impact Assessment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेशों से निवेश आकर्षित करके "मेक इन इंडिया" को सफल बनाने के लिए नियामकीय ढांचे में सुधार के नए प्रयास।

VISION IAS

नियामकीय प्रभाव आकलन क्या है?

- नियामकीय प्रभाव आकलन (RIA) नए या परिवर्तित नियामकों के लाभ, लागत तथा प्रभाव का परीक्षण करता है।
- यह निर्णयकर्ताओं को उनके पास उपलब्ध विकल्पों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रायोगिक आंकड़े और विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए है कि नियामक बदलते और जटिल विश्व में कुशल एवं प्रभावी बन सकें, यह सरकारों की क्षमता को मजबूत कर सकता है।

RIA से लाभ

- सरकारी हस्तक्षेपों की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार,
- प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा,
- पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा,
- भ्रष्टाचार के अवसरों में कमी,
- नीतिगत निगरानी और मूल्यांकन का एक तंत्र,
- भारत जैसे अन्य देशों में नियामकों के ऊपर वार्षिक सरकारी व्यय GDP का 10-20% तक होता है। अर्थात नियामकीय कार्यक्षमता में छोटे सुधार भी राष्ट्रीय आय में बेहतर योगदान दे सकते हैं।
- **उपभोक्ता के नजरिये से:** इसके अनुपालन की कीमत अंततः उपभोक्ताओं पर ही जाती है जिनके हितों की इन नियामकों द्वारा रक्षा की जानी है।

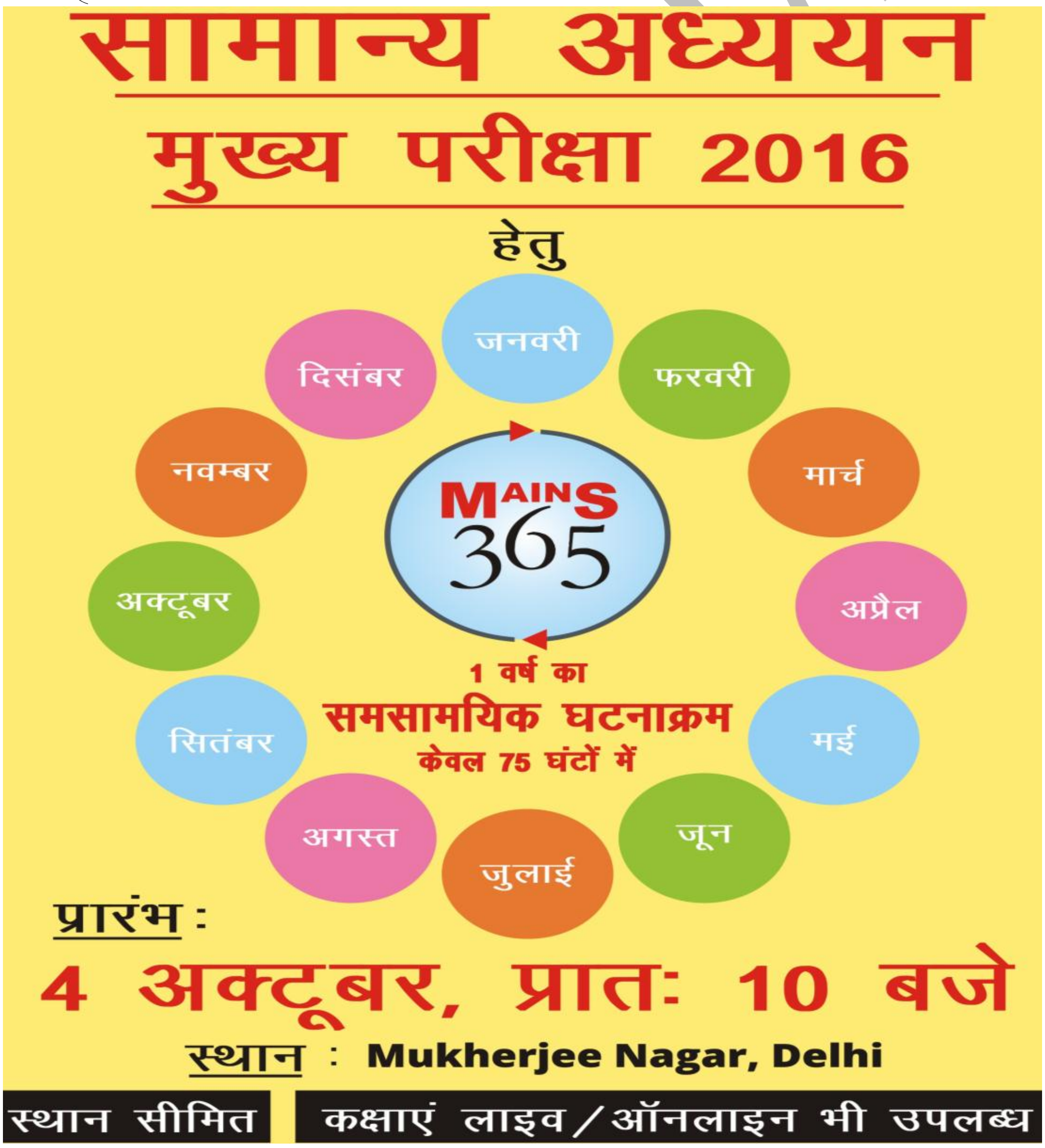

5. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

(Ease of Doing Business)

भारत को वैश्विक एवं घरेलू निवेश के लिए आकर्षक बनाने हेतु विविध पहलें

- बैंकिंग क्षेत्रक में सुधार (पहले चर्चा की जा चुकी है)
- कराधान नियमों में स्थिरता (वोडाफ़ोन, केयर्न, शेल के साथ कर-संबंधी विवाद)
- व्यवसाय करने की सरलता में सुधार (विश्व बैंक के 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स' में, 189 देशों में भारत 142 वें स्थान पर है)।
- स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम स्वरोजगार, सेवाओं एवं विनिर्माण को विशेष बढ़ावा देने के लिए संरचित किये गए हैं। इन क्षेत्रों में भारत की विशाल क्षमता है। इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, बाजारों और व्यापार के साथ बेहतर एकीकरण करने की आवश्यकता होगी।
- सरकार ने कराधान (सरकारी बजट में सम्मिलित), रोजगार और कौशल विकास इत्यादि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विविध सुधार किए हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों का पारदर्शी और निष्पक्ष आवंटन, वस्तु एवं सेवा कर (GST) को यथाशीघ्र लागू करना, ऊर्जा क्षेत्र में वितरण कम्पनियों की समस्याओं का समाधान करना।
- देश की अवसंरचना को भारी निवेश की आवश्यकता है और विदेशी निवेश अत्यधिक संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं।
- नवोन्मेष को बढ़ावा देने एवं निवेश आकर्षित करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (IPRs) का सुदृढ़ीकरण।

5.1. कर शासन में स्थिरता

(Stability in Taxation Regime)

5.1.1. कर आतंकवाद

(Tax Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, आयकर विभाग द्वारा एक PSU से गलत कर वसूलने का मामला सामने आया है। ऐसा उन्होंने मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के चलते अपने सालाना लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया।
- लेकिन अप्रैल में इस कर मांग को रद्द कर दिया गया।
- राजस्व सचिव ने इस मामले के सन्दर्भ में दंडात्मक उपाय के रूप में इस विवाद से जुड़े कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया है।

कर आतंकवाद क्या है?

कर आतंकवाद का प्रयोग निम्नांकित व्यवहारों के संदर्भ में किया जाता है:

- **भूतलक्षी कराधान** मामले जैसे- वोडाफोन विवाद, केयर्न इंडिया-वेदांता समूह मामला।
- **न्यूनतम वैकल्पिक कर-** यद्यपि इसका इरादा सही होता है, लेकिन इसका क्रियान्वयन गलत माना जाता है।
- **कर परिहार से संबंधित विनियमों का प्रवर्तन:** GAAR (जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल) आदि,
- बहुत अधिक राशि वाली **अनुचित कर मांग**, जिसमें निम्न बातें देखने को मिलती हैं:

A. आक्रामक वसूली प्रक्रियाएं

B. बलात साधनों का प्रयोग

- ब्याज दर का समायोजन इस प्रकार करना कि देय रिफंड शून्य हो जाए।
- उचित जवाबदेही के बिना, विवेक के आधार पर लिए गए निर्णय।

प्रभाव

- **अर्थव्यवस्था:** ऐसे में बहुत बड़ी रकम सरकार के पास पड़ी रह जाती है, जिनका उद्यमी अपने कारोबार में उपयोग कर सकते थे।
  - ✓ ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एक बाजार के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता कम कर देता है।
  - ✓ निवेशकों का भरोसा टूट जाता है।

- **गवर्नेंस (शासन):** जनता के हित के नाम पर इस तरह के व्यवहार से कर विभाग के बारे में दुष्प्रचार फैलता है।

✓ करदाताओं के लिए कुशल सेवा वितरण संभव नहीं हो पाता।

आगे की राह

- पार्थसारथी शोम समिति ने कहा है कि इस तरह की अस्वस्थ प्रथाओं का मूल कारण बजट में कर अधिकारियों के लिए अवास्तविक राजस्व संग्रह लक्ष्य निर्धारित करने की परंपरा है। इसे सुधारा जाना चाहिए।
- बुनियादी समस्या समाजवादी युग की विरासत के रूप में प्रचलित भारतीय कर कानूनों की है। यह पद्धति विरोधात्मक है और प्रवर्तन के बजाय अनुपालन की दिशा में झुकी हुई है।
- कर संहिता में रूपांतरणकारी परिवर्तन की आवश्यकता है।
- कर अधिकारियों को भी जनता के प्रति उनकी जवाबदेही का एहसास होना चाहिए।
- प्रत्येक लेन-देन को संदिग्ध निगाहों से देखा जाना कर आतंकवाद की स्थिति पैदा करता है, अतः इससे बचा जाना चाहिए।
- RAPID द्वारा प्रदत्त हाल के सुझाव।
- इस तरह के कृत्यों के लिए जिम्मेदार आयकर अधिकारियों के स्थानांतरण का निर्णय वस्तुतः राजस्व सचिव द्वारा उठाया गया एक प्रशंसनीय कदम है।

5.1.2. आर.वी ईश्वर पैनल

[R. V. Easwar Panel]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रत्यक्ष कर कानूनों में बदलाव व उन्हें सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.वी ईश्वर की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं।

प्रमुख सिफारिशें:

- स्रोत पर कर कटौती (TDS), कर योग्य आय में से व्यय के दावों तथा कर रिफंड से संबंधित **प्रावधानों सरल बनाना**।
- इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने, मुकदमेबाजी को कम करने तथा कर विवादों के समाधान में तीव्रता लाने के लिए विभिन्न **टैक्सपेयर्स फ्रेंडली उपायों** को अपनाना।
- आय संगणना और प्रकटीकरण मानक (Income Computation and Disclosure Standards, ICDS) के विवादास्पद प्रावधानों को समाप्त करना और आयकर रिफंड की प्रक्रिया को तीव्रतम करना।
- उस नियम/खंड को समाप्त करना, जो आयकर विभाग को करदाता के रिफंड देय राशि (ड्यू) को छह महीने से आगे भी भुगतान करने की अनुमति देता है।
- टैक्स रिफंड में देरी पर उच्च ब्याज का भुगतान।
- 5 लाख तक के स्टॉक ट्रेडिंग (शेयर व्यापार) लाभ को पूंजीगत लाभ माना जायेगा न कि व्यापार आय। यह एक ऐसा कदम है, जो स्टॉक बाजार में और अधिक खुदरा निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है।
- एकल व्यक्ति के लिए TDS की दरों को 10% से घटाकर 5% तक किया जाना चाहिए। लाभांश आय, जिस पर लाभांश वितरण कर लगाया जा चुका है, कुल आय के एक हिस्से के रूप में व्यवहृत किया जाना चाहिए।
- समिति ने गैर-निवासियों के लिए, जिनके पास स्थायी खाता संख्या (PAN) नहीं है, उनके निवास देश में टैक्स पहचान संख्या (TIN) के तहत एक उच्च दर पर TDS की प्रयोज्यता से छूट देने की सिफारिश की है।
- समिति ने ICDS को टालने (स्थगित करने) का समर्थन किया है।
- मानवीय अंतराफलक (इंटरफ़ेस) कम करने के लिए आयकर विभाग की प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित किया जाना चाहिए।
- प्रकल्पित (प्रिजम्पटिव) योजना के अंतर्गत इसके पात्रता मानदंड को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया करना तथा पेशेवरों के लिए एक ऐसी ही योजना की शुरुआत करना। प्रकल्पित कर किसी अनुमानित आय पर लगाया जाता है, जो छोटे व्यवसायों के अस्तित्व (और काम) को आसान बना देता है।

प्रकल्पित आय योजना के अंतर्गत पेशेवरों या व्यवसायों को बही-खाता रखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उन्हें अपने संभावित आय की गणना के आधार पर कर का भुगतान करना होता है। जैसे- पेशेवरों के लिए यह प्रस्तावित है कि उनके पिछले साल के 33.3% प्राप्तियों की आय के रूप में गणना की जाएगी, जिस पर उन्हें कर का भुगतान करना होगा। यदि उनके लाभ इससे बहुत कम हैं तो उन्हें बही-खाता रखने की आवश्यकता होगी जिसमें व्ययों का स्पष्ट वर्गीकरण समाहित होता है तथा उसी हिसाब से उन्हें कर का भुगतान करना होता है।

5.1.3. सीड फंडिंग टैक्स को समाप्त किया जाएगा

(Seed Funding Tax to be Removed)

इसकी आवश्यकता क्यों थी?

- मौजूदा कर मानदंडों के तहत फंडिंग को आय के रूप में स्वीकार करते हुए सरकार ऐसे निवेश (फंडिंग) की कुल राशि का लगभग 30% उद्ग्रहित कर लेती है। इसलिए इस कदम से निश्चित ही नकदी प्रवाह में बहुत सुधार होगा।
- भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो इस तरह स्थानीय एंजेल निवेशकों को दण्डित करता है।

लाभ:

- इससे भारत में स्टार्ट-अप की प्रक्रिया तथा देश में व्यवसाय करने में आसानी लाने में मदद प्राप्त मिलेगी।
- एक आकलन के अनुसार लगभग 65% स्टार्ट-अप ऐसे ही कुछ अनिश्चित करारोपण के कारण अपने व्यवसाय को भारत से बाहर ले जाने के लिए विवश हुए हैं। अतः यह कदम निश्चित ही उन्हें भारत में अपने व्यवसाय को बनाये रखने अथवा आरंभ करने में मदद करेगा।
- पुनः यह कदम निश्चित ही कर संरचना में पारदर्शिता, सरलीकरण तथा पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
- इससे स्टार्ट-अप के लिए पूंजी प्रवाह में मदद मिलेगी, जिससे उनके लिए व्यवसाय आरंभ करना आसान होगा।
- यह कदम स्टार्ट-अप में निवेश करने के लिए स्थानीय एंजेल निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा। वर्तमान में भारत में लगभग 90% स्टार्ट-अप की फंडिंग विदेशी उद्यम पूंजी (वेंचर कैपिटल) या एंजेल फण्ड के माध्यम से होती है।
- पुनः इससे स्थानीय निवेशकों के साथ विदेशी निवेशकों के समान सकारात्मक बर्ताव सुनिश्चित हो सकेगा।

5.1.4. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक , 2016

(Taxation Laws [Amendment] Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लोकसभा ने कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित कर दिया है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 और सीमा शुल्क अधिनियम (कस्टम टैरिफ एक्ट), 1975 में संशोधन संबंधी प्रावधान हैं।

विधेयक की विशेषताएं

A. आयकर अधिनियम, 1961

- **सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों का डिमर्जर (demerger):** कंपनी अधिनियम, 1956 में कंपनियों को अनेक कंपनियों में विभाजित (डिमर्ज) होने की अनुमति प्राप्त है।
- आयकर अधिनियम, 1961 में इन मूल कंपनियों से अलग होकर बनी नयी कंपनियों को ध्यान में रखते हुए उन पर कराधान का प्रावधान है।
- विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि ये प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्रक की किसी कंपनी के विभाजन के मामले में लागू होंगे, क्योंकि इस प्रकार बनी नयी कंपनी अब सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनी नहीं रह जाएगी।

VISION IAS

- **नए कर्मचारियों को रोजगार देने के चलते कराधान आय में कटौती:** आयकर अधिनियम, 1961 वस्तुतः ऐसे व्यवसायों को नए कर्मचारियों को भर्ती करने के कारण होने वाली कुल लागत पर 30% की छुट (कराधान आय पर) की अनुमति देता है।
- अधिनियम में यह प्रावधान है कि ऐसे कर्मचारी को पिछले वर्ष में 240 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए नियोजित होना चाहिए।
- इस विधेयक में कपड़ा निर्माण का कारोबार करने वाले के लिए **150 दिनों** की सीमा का प्रावधान है।

कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975

- **संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक और स्लैब पर सीमा शुल्क:** वर्तमान में, निश्चित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट और संगमरमर के आयात पर 10% का सीमा शुल्क लगाया जाता है।
- विधेयक में इसे **40%** करने का प्रस्ताव है।

विश्लेषण

- भारतीय परिधान सामान्यतः गर्मियों में अधिक प्रयुक्त होते हैं अर्थात इस व्यापार की प्रकृति मौसमी है। इसलिए, कंपनियों को आयकर अधिनियम में संशोधन द्वारा मदद कर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है।
- यह जून 2016 में की गई घोषणाओं के आलोक में उठाया गया कदम है, जिससे वस्त्र और परिधान उद्योग में रोजगार सृजन तथा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। पुनः यह अगले तीन वर्षों में वस्त्र और परिधान क्षेत्र में एक करोड़ रोजगार पैदा करने की प्रतिबद्धता पूर्ण करने का भी प्रयास करेगा।
- सीमा शुल्क कानून में प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य सरकार को टैरिफ के सम्बन्ध में अधिक से अधिक लचीला बनाने के लिए सक्षम करना है।
- वर्तमान में, संगमरमर ब्लॉक/स्लैब और ग्रेनाइट ब्लॉक/स्लैब का आयात गैर-टैरिफ उपायों के एक संयोजन के अधीन हैं जिसमें मात्रात्मक प्रतिबंध, न्यूनतम आयात मूल्य और टैरिफ मानक अर्थात कस्टम ड्यूटी भी सम्मिलित हैं।

5.2. ऋणशोधन अक्षमता समाधान

(Resolving Insolvency)

5.2.1. दिवालियापन कानून

(Bankruptcy Law)

पृष्ठभूमि

इस संहिता का उद्देश्य ऋणशोधन अक्षमता या दिवालियेपन के मामलों के समाधान में होने वाली देरी में कमी करना एवं उधार राशियों की वसूली में सुधार करना है।

आवश्यकता

आजकल, भारत में दिवालियेपन की कार्यवाहियाँ कई कानूनों द्वारा नियंत्रित होती हैं जैसे कंपनी अधिनियम, SARFAESI अधिनियम, रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम इत्यादि। पूरी प्रक्रिया में बहुत विलम्ब होता है जिससे लंबी अवधि के लिए पूंजी अवरुद्ध हो जाती है।

कानून की मुख्य विशेषताएं :

- अधिक से अधिक कानूनी स्पष्टता के लिए एकीकृत संहिता।
- ऋणशोधन अक्षमता या दिवालियापन के मामलों को हल करने के लिए **180 दिन की समय सीमा तय किया गया है,** जिसे 90 दिनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
- **एक नया विनियामक–** ऋणशोधन अक्षमता एवं सूचनात्मक उपयोगिताओं से साथ व्यवहार करने वाले पेशेवरों/एजेंसियों को विनियमित करने के लिए भारतीय ऋणशोधन अक्षमता

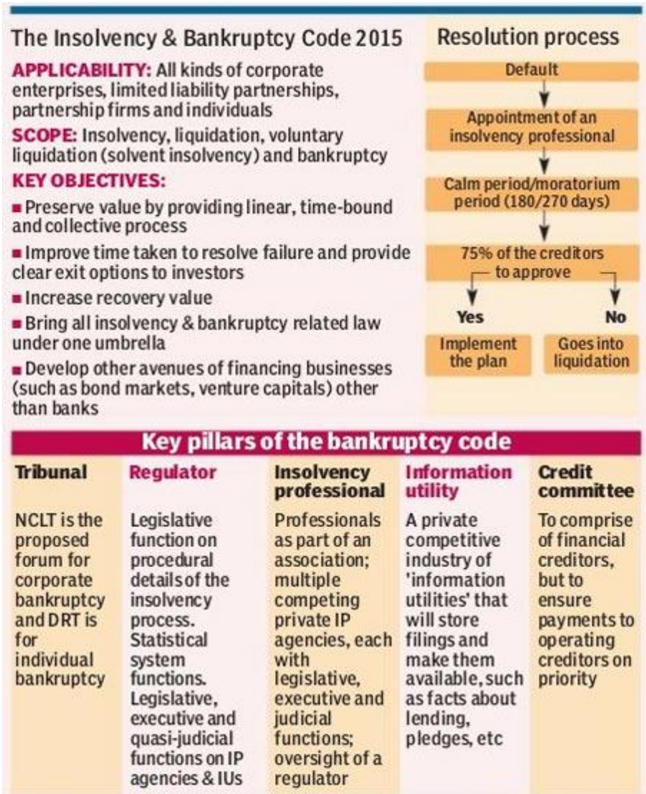

VISION IAS

या दिवालियापन बोर्ड (IBBI)

- कंपनियों, सीमित देयता संस्थाओं पर दिवालियापन मामलों का न्यायनिर्णय करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में विशेष न्यायपीठ।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) न्याय निर्णयन करने वाला प्राधिकरण होगा, इसकी अधिकारिता व्यक्तियों और असीमित देयता साझेदारी फर्मों पर होगी।
- यह संहिता, ऋण भुगतान करने में विफल होने पर कॉर्पोरेट ऋणी को स्वयं ही ऋणशोधन अक्षमता-समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने की अनुमति देता है।
- लेनदारों के विभिन्न वर्गों (वित्तीय लेनदारों और संचालन लेनदारों) द्वारा किए जाने वाले दावों की प्राथमिकता का निर्धारण।

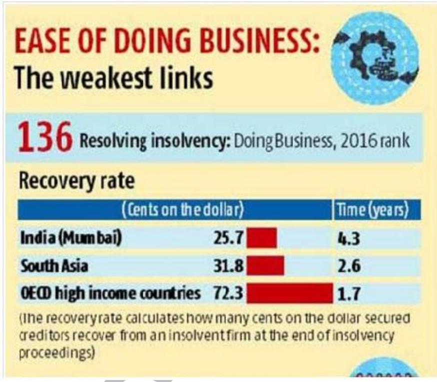

वर्तमान दिवालियापन कानून से जुड़े मुद्दे

- दिवालियापन के अनुरोध पर न्यायिक प्राधिकारी द्वारा रोक लगाई जा सकती है या इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की जा सकती है। ऐसे में संभव है कि परिचालन लेनदार के पास दिवालिया कंपनी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन न हो।
- मौजूदा कानूनों को निरस्त किये बिना, दिवालियापन कानून, इस प्रक्रिया को और जटिल कर सकता है।
- अगर दिवाला प्रस्ताव पेशेवर (Insolvency Resolution Professional) द्वारा 270 दिनों के भीतर दिवाला प्रस्ताव योजना प्रस्तुत नहीं की जाती या प्रस्ताव को न्यायिक प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो परिसमापन (Liquidation) ही एकमात्र विकल्प होता है। हालांकि परिसमापन से पहले कम्पनी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा या नहीं, इस सम्बन्ध में यह कानून मौन है।
- परिसमापन का विकल्प, रुग्ण कंपनी के सुधार हेतु पर्याप्त प्रयास न किये जाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है।

आगे की राह

गैर निष्पादित संपत्तियों को कम करने और भारत में "ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस" में सुधार के लिए दिवालियापन कानून एक बहुत आवश्यक कदम है। फिर भी दिवालियापन और ऋण बाजार के अनुभव वाले विदेशी विशेषज्ञों की राय लेकर इस कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।

5.2.2 SARFAESI और DRT अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक

(Bill to Amend Sarfaesi and DRT Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लोकसभा ने हाल ही में निवर्तमान Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest {वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI)} अधिनियम, और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया है।
- अब इसे लोक सभा और राज्य सभा, दोनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

SARFAESI: सारफेसी कानून को वस्तुतः किसी भी अदालत या ऋण वसूली न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना आवासीय या वाणिज्यिक परिसंपत्तियों की नीलामी के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सक्षम करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके चलते परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) का गठन हुआ, जिससे बैंक ऐसे सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथों में लेने में सक्षम हो गए।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण: दीवानी अदालतों के विकल्प के तौर पर इन्हें ऋणों के प्रवर्तन तथा वसूली के लिए सृजित किया गया है। यह ऋण वसूली के लिए एक तीव्र एवं आसान प्रक्रिया सुलभ कराता है।

आवश्यकता

- बढ़ते NPA की समस्या किसी से छिपी नहीं है।
- मौजूदा ऋण वसूली की प्रक्रिया में निहित खामियों ने NPA की समस्या को और अधिक बढ़ाया है। उदाहरण के लिए, फिलहाल 70,000 से अधिक मामले DRTs के समक्ष लंबित हैं।

VISION IAS

- SARFAESI और DRT की परिकल्पना वस्तुतः ऐसे मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी। परंतु, वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं।
- विधेयक में इन मुद्दे के समाधान की कोशिश की गयी है। यह निम्नलिखित चार अधिनियमों में संशोधन करेगा:

✓ SARFAESI अधिनियम, 2002

✓ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं अधिनियम, 1993 की वजह से ऋण की वसूली

✓ द इंडियन स्टाम्प एक्ट (भारतीय स्टाम्प अधिनियम), 1899;

✓ द डिपोजिटरी एक्ट, 1996

लाभ

- तीव्र वसूली और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋणों का समाधान।
- इससे ARCs के प्रकार्य आसान होंगे।
- इससे अधिक संख्या में ARCs को भारत में कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। DRTs के पुनर्निर्माण में भी इससे मदद मिलेगी।
- यह नए दिवालियापन कानून के पूरक के रूप में काम करेगा और दबावग्रस्त परिसंपत्ति और ऋण वसूली से निपटने के लिए एक समयबद्ध रूपरेखा प्रदान करेगा।
- कानूनी रूप से बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करेगा।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

SARFAESI

- यह बैंकों को 30 दिनों के भीतर जमानत सुरक्षा (collateral security) पर अधिकार की अनुमति देता है। विजय माल्या विवाद के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है।
- ARCs तक भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक शक्तियों का विस्तार;
  - भारतीय रिजर्व बैंक के पास ARC की लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण हेतु अधिक शक्तियां होंगी और इसके अध्यक्ष या किसी भी निदेशक को हटाने तथा किसी केंद्रीय बैंक के अधिकारी को इसके बोर्ड में नियुक्त करने का अधिकार होगा।
  - RBI के पास इसके निर्देशों का पालन न करने के लिए दंड लगाने का अधिकार होगा, और वह ऐसी संपत्तियों को प्राप्त करने के समय बैंकों के लिए इन ARCs द्वारा आरोपित शुल्क को नियंत्रित कर सकेगा।
- यह विधेयक पंजीयन का आधार विस्तृत करेगा, सभी उधारदाताओं और उनकी संपत्तियों को एक केंद्रीय डेटाबेस में पंजीकृत किया जाएगा जिनके आधार पर ऋण दिया गया है।
- विधेयक के अनुसार सुरक्षित लेनदार जमानत पर तब तक कब्जा लेने के लिए सक्षम नहीं हो सकेंगे जब तक कि यह केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत नहीं हो जाता। इसके अलावा, इन लेनदारों को, प्रतिभूति ब्याज के पंजीकरण के बाद, बकाया राशि की अदायगी में दूसरों पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- यह सुरक्षित लेनदारों को कंपनी पर अधिकार करने तथा ऋण लेने वाली कंपनी में ब्याज पर नियंत्रण हासिल करके अपने व्यापार को बहाल करने के लिए सक्षम बनता है ।

DRT

- वसूली आवेदन पत्रों, दस्तावेजों और लिखित बयानों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन DRTs की ओर बढ़ने की बात कही गयी है।
- समयबद्ध प्रक्रिया की स्थापना।
- लेनदारों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। अपील दाखिल करने के लिए ऋण का 50% DRT के पास जमा करना होगा।
- विधेयक में भारतीय स्टाम्प अधिनियम में भी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि ARC के पक्ष में वित्तीय परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क आरोपित न किया जाए।
- विधेयक किसी ARC के प्रायोजक की 100% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह ARC द्वारा जारी किए गए प्रतिभूति प्राप्तियों (सिक्यूरिटी रिसीट) में निवेश हेतु गैर-संस्थागत निवेशकों को सक्षम बनाएगा और प्रतिभूति परिसंपत्तियों पर अधिकार के लिए एक समय निर्धारित करेगा।
- बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए वसूली प्रक्रिया की फ़ास्ट ट्रैकिंग।

मुद्दे और चुनौतियां

- RBI द्वारा ARCs का विनियमन हितों के टकराव को जन्म दे सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ARCs को NPA की वास्तविक मूल्य से उच्च मूल्य पर वसूली के लिए निर्देश दे सकता है। यह वैश्विक परम्पराओं के खिलाफ है तथा साथ ही संपत्ति की वसूली का व्यापार बैंकिंग कारोबार से बहुत अलग है।
- प्रस्तावित स्वचालन हेतु अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होगी।
- अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी जैसी अन्य समस्याओं का समाधान विधेयक में नहीं किया गया है।

5.3. द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) के लिए केंद्र-राज्य निवेश करार

[Centre-State Investment Agreement for Bilateral Investment Treaties (BIT)]

सुर्खियों में क्यों?

बजट प्रस्ताव में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने द्विपक्षीय निवेश संधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र-राज्य निवेश समझौते के विचार को सबके सामने रखा जोकि विभिन्न राज्य सरकारों तथा केंद्र के बीच हस्ताक्षरित होगा।

द्विपक्षीय निवेश संधि क्या है?

- BITs मेजबान देश द्वारा निवेश के प्रति किये जाने वाले व्यवहार को विनियमित कर दूसरे देश के निवेशक के निवेशों की संरक्षा करती है।
- इसमें भेदभाव रहित बर्ताव, राष्ट्रीयकरण के खिलाफ संरक्षण, निवेशक राज्य विवाद निपटान प्रावधान (जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले निवेशकों के लिए सारे स्थानीय उपचार का उपयोग करने की आवश्यकता होती है) जैसे प्रावधान शामिल हैं।

केन्द्र-राज्य निवेश करार (Centre & State Investment Agreement - CSIA) क्या है?

- यह राज्य और केंद्र के बीच एक प्रकार का स्वैच्छिक समझौता है, जहाँ राज्यों को BITs के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
- भारत के द्विपक्षीय निवेश संधि भागीदारों को उन राज्यों के बारे में सूचित किया जाएगा, जो इस करार पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

लाभ

- जो राज्य इस करार पर हस्ताक्षर करेंगे, उन्हें निवेश के लिए एक अधिक आकर्षक गंतव्य के रूप में देखा जाएगा।
- इससे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित होगा तथा "ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस" की स्थिति में भी सुधार होगा।

आलोचना

- CSIA के बिना भी, संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों पर बाध्यकारी कानून बना सकती है।
- यदि CSIA के तहत राज्य अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे में संप्रभुता की अवधारणा के तहत केंद्र को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- राज्य, द्विपक्षीय निवेश संधि के उल्लंघन की स्थिति में केंद्र द्वारा राज्यों को दोषी बनाने के रूप में देख सकते हैं।
- जो राज्य इस करार पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे उन्हें निवेश करने के लिए असुरक्षित माना जा सकता है, जोकि निवेश के सन्दर्भ में क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि कर सकता है।

आगे की राह

- द्विपक्षीय निवेश संधि के विभिन्न प्रावधानों और इसके तहत दायित्वों के प्रति राज्य सरकारों को जागरूक करना बेहतर होगा।
- अंतरराष्ट्रीय संधियों के संबंध में राज्यों के साथ संस्थागत तौर पर परामर्श किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नीति आयोग की संचालन परिषद् या भूतपूर्व राष्ट्रीय विकास परिषद् जैसे मंच बनाये जा सकते हैं।
- यह सहकारी संघवाद की अवधारणा के अनुरूप होगा और अंतरराष्ट्रीय संधियों के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

VISION IAS

5.4. सरलीकरण मानदंड

(Easing Norms)

- सरकार, शहरी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विमानपत्तनों, रक्षा प्रतिष्ठानों, और स्मारकों के आसपास निर्माण हेतु अनुज्ञापत्र (परमिट) देने के नियमों को सरल कर रही है।
- **पुराने मानदंड:** भवन निर्माण विकासकर्ताओं (डिवेलपर्स) को मैन्यूअल अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- अब सब कुछ **'कलर-कोडेड जोनल मैप'** में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा, जेटलाइनरों द्वारा *लैंडिंग* और *टेक ऑफ* करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एअरस्पेसेस को मैप (मानचित्र) में विशेष रूप से दर्शाया जाएगा। ऐसे स्थानों पर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- केवल ऐसे स्थानों में निर्माण की अनुमति दी जाएगी जो **"कलर-कोडेड"** जोन से बाहर पड़ते हैं।
- सरकार शीघ्र ही **शहरी स्थानीय निकायों को "कलर-कोडेड जोनल मैप" का अनुपालन के लिए सशक्त बनाएगी** तदनुसार अचल संपत्ति विकास को अधिकृत करेगी। यह होने वाले विलंब को कम करेगा।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने **ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन प्रणाली (No Objection Certificate Application System)** के उन्नत संस्करण की भी कमीशनिंग की है।
- रक्षा प्रतिष्ठानों के निकट निर्माण गतिविधियों हेतु बाधाओं को दूर करने के लिए **रक्षा निर्माण कार्य अधिनियम, 1903** को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।
- संस्कृति मंत्रालय ने एक **<u>मोबाइल-बेस्ड एप</u>** आरम्भ किया है। यह एप राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट एवं <u>संबंधित शहरी स्थानीय निकायों</u> की वेबसाइट का एकीकरण कर स्मारकों के आसपास के क्षेत्र में केवल 72 घंटों में निर्माण की अनुमति प्रदान किया जाना संभव करता है। वर्तमान में, इस प्रक्रिया में लगभग 90 दिन का समय लगता है।

निकट भविष्य में अधिसूचित किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन

- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने **नेशनल बिल्डिंग कोड की संशोधन प्रक्रिया को पूर्ण** कर लिया है, जिससे अब बिल्डिंग निर्माण के अनुमोदनों की स्वीकृति प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सकेगी।
- **पर्यावरण मंत्रालय** ने संशोधित और सरलीकृत पर्यावरणीय मानदंड प्रस्तुत किए हैं**,** इन्हें शहरी विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करने के बाद यथाशीघ्र अधिसूचित किया जाएगा।
- शहरी विकास मंत्रालय **शीघ्र ही आदर्श भवन उपनियम जारी करेगा,** जिसमें भवन निर्माण को शीघ्र अनुमति देने के लिए स्थानीय निकायों को अधिकार दिए जाएंगे। नियम और प्रक्रियाएं संशोधित होकर सरल होंगी। इससे शहरी इलाकों में निर्माण कार्य आसान हो जाएगा।

5.5. SWIFT: ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

(Swift: Ease of Doing Business)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व बैंक की ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट - 2016 में भारत वर्ष 2015 की तुलना में चार पायदान ऊपर आ गया है। अब इसकी रैंकिंग 2015 के 134वें स्थान की तुलना में 130वीं (189 देशों के बीच) हो गयी है।
- यह सुधार SWIFT (Single Window Interface for Facilitating Trade) के आरम्भ होने के बाद आया है।

SWIFT क्या है?

- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने और ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार करने के लिए 1 अप्रैल 2016 को SWIFT का शुभारंभ किया।
- SWIFT वस्तुतः आयातकों/निर्यातकों को ICEGATE (Indian Customs Electronic Commerce/Electronic Data Interchange Gateway) पर एक समान एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक घोषणा दायर करने के लिए सक्षम बनाता है।
- यह एकीकृत घोषणा मुख्यतः सीमा शुल्क, FSSAI, पादप संगरोध (Plant Quarantine), पशु संगरोध, ड्रग कंट्रोलर, वन्य जीवन नियंत्रण ब्यूरो और वस्त्र समिति के लिए आवश्यक जानकारी को संकलित करता है।

VISION IAS

- यह छह भिन्न एजेंसियों के लिए आवश्यक नौ अलग-अलग प्रपत्रों की आवश्यकता को समाप्त करेगा।
- सहयोगी सरकारी एजेंसियों (पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज-PGAs) के लिए CBEC ने भी एक समग्र जोखिम प्रबंधन सुविधा की शुरूआत की है।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि एजेंसियां सैद्धांतिक जोखिम प्रबंधन के आधार पर परीक्षण के लिए कन्साइनमेंट का चयन करें।

5.6. मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक 2016

(Model Shops and Establishment Bill 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) विधेयक 2016 को मंजूरी दी है।

उद्देश्य

- श्रमिक कल्याण हेतु और अधिक विकल्प उपलब्ध करना,
- महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना, तथा
- कारोबार करने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करना।

मुख्य बिंदु

- यह विधेयक विनिर्माण इकाइयों को छोड़कर केवल उन्हीं दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को कवर करता है, जहां दस या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं।
- यह विधेयक प्रतिष्ठानों के खुलने या बंद होने से संबंधित समय की किसी बाध्यता के बिना वर्ष में 365 दिन इन्हें संचालित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- विधेयक विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की कोशिश करता है; यह महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा प्रावधानों के साथ, रात की पाली में काम करने के लिए अनुमति देगा।
- यह प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए शौचालय, क्रेच, प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल और कैंटीन जैसी सुविधाओं के लिए प्रावधान बनाएगा।

विधेयक से सम्बद्ध चिंताएँ

- यह कानून कौशल विकास, उत्पादकता और नवोन्मेष- जो सूचना प्रोद्यौगिकी और विशेष रूप से वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, के स्थान पर अधिक श्रम का उपयोग कर आउटपुट बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मात्र अल्पावधि में ही भारत को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में सहयोग करेगा।
- विनिर्माण के संबंध में प्रारूप कानून और श्रम कानूनों के बीच असंगतियाँ, विशेष रूप से एक ही छत के नीचे विभिन्न भूमिकाओं का निष्पादन करने वाले एवं अलग-अलग नियमों और शर्तों के अंतर्गत श्रमिकों को नियोजित करने वाले एकीकृत कार्यस्थल में भ्रम उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, मॉडल विधेयक न्यूनतम पारिश्रमिक के संबंध में मौन है।
- छोटे प्रतिष्ठानों को अपनी परिधि से बाहर छोड़ कर इस विधेयक ने मिठाई की दुकान के समान स्थिति (sweat shop conditions) की संभावना को बढ़ा दिया है जो अब संशोधित बाल श्रम कानूनों के अंतर्गत अनुमत 'पारिवारिक श्रम' का उपयोग कर चलाई जा रही हैं।
- रात्रि में कार्यरत शहरी भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ अचानक अत्यधिक बढ़ सकती हैं।

आगे की राह

- केन्द्र को पेंशन और बीमा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा तंत्र को विस्तृत करने के लिए हितधारकों के साथ काम करने की आवश्यकता है, जिससे ऐसे सुधारों के परिणामस्वरूप सामाजिक-राजनीतिक प्रतिरोध न आरम्भ हो जाएँ।
- मॉडल विधेयक विधान का एक सांकेतिक भाग है और इसे सहकारी संघवाद की भावना को दृष्टि में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया है। यह राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मॉडल विधेयक का समायोजन करने की स्वतंत्रता देता है।
- अपेक्षा है कि यह राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और चुनौती की भावना उत्पन्न करेगा एवं विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के कस्बों में प्रत्येक स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हेतु अनुकूल वातावरण उत्पन्न करेगा।

VISION IAS

5.7. अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता/पंचाट तंत्र

(International Arbitration Mechanism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत ने ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों से उनके बीच एक मध्यस्थता तंत्र विकसित करने के लिए आग्रह किया है।

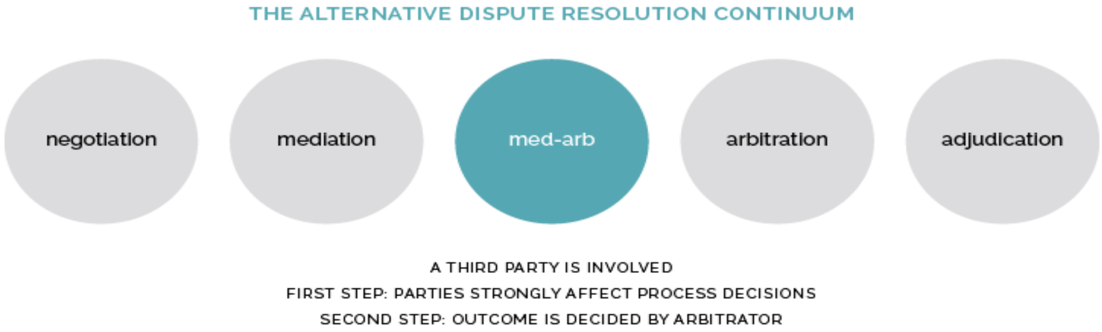

- ब्रिक्स कांफ्रेंस ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर हुए ब्रिक्स सम्मेलन) के दौरान वित्त मंत्री द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया।

इस प्रकार के तंत्र की आवश्यकता क्यों है?

- **पश्चिम का वर्चस्व:** यह देखा गया है कि अधिकतर आर्बिट्रेशन केन्द्र पश्चिम में संकेंद्रित हैं और यह आशंका है कि ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण निर्णय देते हैं।
- पुनः, **उभरती अर्थव्यवस्थाओं का इन मध्यस्थता केंद्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है,** परिणामस्वरुप विकासशील देशों की चिंताओं और अपेक्षाओं को यहां ठीक से नहीं रखा जाता है। अतः विकासशील देशों को ऐसे मध्यस्थता केंद्रों को विकसित करने की आवश्यकता है।
- हाल का एक उदाहरण - ब्रिटिश तेल और गैस खनन कंपनी केयर्न एनर्जी ने 29,047 करोड़ रुपये के भूतलक्षी कर मांग के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भारत सरकार से 5.6 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की है।

भारत का प्रयास

- भारत पहले से ही स्वयं को ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब (वैश्विक पंचाट केंद्र) के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में काम कर रहा है। जून 2016 में, सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने गिफ्ट सिटी (Gujarat International Finance Tec-City; GIFT CITY) में अपनी एक शाखा खोलने के लिए सहमति जताई है।
- भारत ने अपनी द्विपक्षीय निवेश संधि व्यवस्था में इस हेतु परिवर्तन किया है।
- भारत ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट (मध्यस्थता और सुलह अधिनियम) में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।
- इसके अलावा, घरेलू न्यायालयों को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनलों के अधिकार-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने में संयम दिखाने की जरूरत है। अतीत में घरेलू अदालतों द्वारा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनलों की कार्यवाही में हस्तक्षेप ने भारतीय अर्थव्यवस्था की छवि को दुष्प्रचारित किया है।

5.7.1. गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों का समाधान

(Resolving International Commercial Disputes in GIFT City)

भारतीय कंपनियों के साथ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) और सिंगापुर इंटरनेशनल मेडीएशन सेंटर (SIMC) के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों को हल करना।

मुख्य बिंदु

- समझौते के अनुसार, GIFTCL, GIFT SEZ और SIAC मध्यस्थता और अन्य विवाद समाधान तंत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेंगे।
- इसमें अभिनव "**Arb-Med-Arb**" सेवा (Arbitration - Mediation - Arbitration) भी शामिल है।
- SIAC का प्रतिनिधि कार्यालय भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता सेवाओं को प्रदान देगा।

VISION IAS

आर्थिक निहितार्थ

- SIAC की मध्यस्थता सेवाओं को भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए प्रमोट करना।
- पिछले पांच साल में भारतीय कंपनियाँ SIAC के शीर्ष पांच विदेशी उपयोगकर्ताओं में हैं और 2013 और 2015 में भारत SIAC का शीर्ष विदेशी उपयोगकर्ता था।
- गिफ्ट सिटी अन्य प्रतिद्वंद्वी वित्तीय केंद्रों अर्थात् सिंगापुर, हांगकांग और दुबई के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों से धन वापस पा सकती है।
- इससे गिफ्ट-सिटी मजबूत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में उभरेगा क्योंकि किसी भी सफल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक कुशल विवाद समाधान तंत्र की आवश्यकता होती है।
- SIAC अनुबंध प्रवर्तन में सुधार, देरी को कम करने, निवेशकों की रक्षा, दिवाला समाधान आदि द्वारा "ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस" को बढ़ावा देगा।

वे क्षेत्र जिनके प्रस्तावित ढाँचे में सुधार की आवश्यकता है:

- **नई वित्तीय व्यवस्था**: किसी क्षेत्र में व्यापार करना व्यवहार्य होने की स्थिति में, नियमावली में ऋणी और ऋणदाता के बीच नई वित्तीय व्यवस्था की सम्भावना की परिकल्पना की गई है।
- **वाटरफाल प्राथमिकता**: केन्द्र या राज्य सरकार के उत्तरदायित्व या कर्मचारी भविष्य निधियां।
- **दो-वर्ष का इतिहास**: भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए केवल दो वर्ष पुराने निधियों के अपयोजन(डायवर्ज़न) की जांच की जाती है।
- प्रमोटर द्वारा पुनर्खरीद: प्रमोटर्स को निश्चित ऋण पुनर्गठन (certain debt restructuring) के साथ नियत मूल्य पर कम्पनी को पुन: खरीदने का विकल्प प्राप्त है।

5.8. तपन रे पैनल की सिफारिशें

(Tapan Ray Panel Recommendations)

<u>**2013 के कंपनी अधिनियम की समीक्षा**</u> करने के उद्देश्य से गठित किये गए <u>तपन रे पैनल</u> ने 2000 से अधिक <u>सुझाव और सिफारिशें</u> दी हैं।

उद्देश्य

- 1956 के कंपनी अधिनियम से 2013 के कंपनी अधिनियम की ओर परिवर्तन को सुगम बनाना,
- इज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा स्टार्ट-अप के लिए बेहतर माहौल प्रदान करना।

मुख्य सिफारिशें:

- 2013 के अधिनियम के अनुसार, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अगर अपने शुद्ध लाभ का 11% से अधिक प्रबंधकीय प्रतिफल के रूप में देना चाहे तो उसे इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। पैनल ने सिफारिश में इस प्रावधान को ख़त्म करने की माँग की है।
- <u>सेबी और कंपनी अधिनियम के डिसक्लोजर मानकों के बीच सामंजस्य</u>- स्वतंत्र निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी तरह का आर्थिक संबंध नहीं होना चाहिए।
- "सहायक कंपनी" को नियंत्रक कंपनी की "कुल शेयर पूंजी" के बजाय नियंत्रक कंपनी के मताधिकार के सन्दर्भ में परिभाषित करना।
- स्टार्ट-अप को प्रदत्त पूंजी का 50% स्वीट इक्विटी के रूप में जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए; मौजूदा प्रावधान में यह 25% है।
- स्टार्ट-अप को उन प्रमोटरों के लिए कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (employee stock ownership plan) जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो कर्मचारी या कर्मचारी निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं।
- केवल वही धोखाधड़ी मामले जो 10 लाख रूपए या उससे ज्यादा के हों, या कंपनी के कुल टर्नओवर का एक फीसदी या उस से ज्यादा हो (दोनों में से जो भी कम हो), ही धारा 447 के तहत दंडनीय हो सकते हैं।

- धारा 2(87) के तहत उस प्रावधान को हटाना, जो कंपनियों को दो स्तर से अधिक सहायक कंपनियों को बनाने से रोकता है।
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority) के रूप में एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करना, जो लेखा और लेखा मानकों से संबंधित मामलों के लिए सेवा प्रदान करेगी। इसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (Institute of Chartered Accountants of India) के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

5.9. सरकार द्वारा उठाये गए अन्य कदम

(Other Initiatives Taken by Government)

5.9.1. 'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम

(Startup India Programme)

सुर्खियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने भारत में उद्यम आरंभ करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु स्टार्ट-अप के लिए **कार्य योजना** की घोषणा की है।

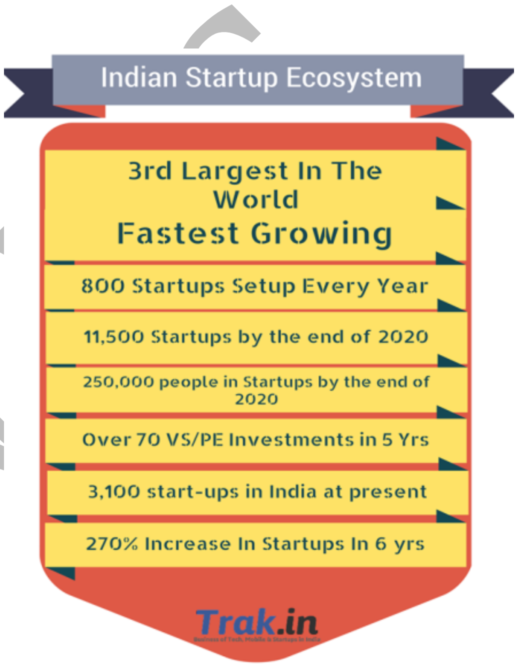

मुख्य विशेषताएं

"स्टार्ट अप के लिए फंड ऑफ फंड्स" (FFS):

- FFS कोष 10,000 करोड़ रुपये का है जिसे स्टार्टअप इंडिया योजना की प्रगति और फंड की उपलब्धता के विषयाधीन 14वें और 15वें वित्त आयोग के दौरान सृजित किया जाएगा।
- FFS के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए सिडबी की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा।
- प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा, समय-सीमा और लक्ष्यों के अनुसार निष्पादन संभव बनाने हेतु **स्टार्ट-अप की कार्य योजना** के कार्यान्वयन से जुड़ी हुई है।

महत्व:

- यह 10,000 करोड़ रुपये की राशि, 60,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश और इसके दुगुने का ऋण निवेश उत्प्रेरित करने का केन्द्र बिन्दु बन सकता है।
- इससे स्टार्टअप उद्यमों के लिए वित्तपोषण का स्थिर और आशानुरूप स्रोत उपलब्ध होगा और जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की सुविधा होगी।
- स्टार्ट-अप के माध्यम से नवाचार प्रेरित उद्यमिता और व्यवसाय सृजन में बढ़ोतरी, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है।
- छूट प्राप्त सीड टैक्स फंडिंग। **(नोट: 'कराधान की स्थिरता' शीर्षक में पढ़ें)**
- स्टार्ट-अप पर नियामकीय बोझ कम करने के आशय के साथ, इन्हें तीन वर्ष की अवधि तक छह श्रम कानूनों और तीन पर्यावरण कानूनों से मुक्त रखा गया है (यदि स्टार्टअप कारोबार आरंभ करने की तिथि से पहले वर्ष के लिए नौ श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए स्व-घोषणा प्रस्तुत करते हैं तो ये श्रम कानून जहां भी लागू होंगे इन कानूनों के अंतर्गत कोई निरीक्षण नहीं होगा)
- स्टार्ट-अप को बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) दाखिल करने में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
- सरकारी खरीद में स्टार्ट-अप के लिए समान मंच प्रदान करने हेतु गुणवत्ता मानकों या तकनीकी मानकों में किसी भी प्रकार की शिथिलता के बिना, पूर्व अनुभव या कारोबार के मानदंडों से स्टार्ट-अप को मुक्त रखा जाएगा।

- सरकार **एक स्टार्ट-अप इंडिया केद्र स्थापित करने वाली है जो सभी स्टार्ट-अप के लिए संपर्क का एकल-बिंदु होगा।**
- R&D
- इन्क्यूबेशन तथा अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को संवर्धित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों में 1,200 से अधिक स्टार्ट-अप के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नवाचार और उद्यमिता के 31 केन्द्रों की स्थापना की जाएगी अथवा ऐसे केंद्रों उन्नयन किया जाएगा।
- 7 नए शोध पार्कों (प्रत्येक शोध पार्क में 100 करोड़ रूपये का आरंभिक निवेश) की स्थापना की जाएगी। ये पार्क अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों को एक आधार प्रदान करेंगे तथा उन्हें शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनायेंगे।

आगे की राह

- सरकार को स्टार्ट-अप के लिए अप्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।
- स्टार्ट-अप के लिए त्वरित वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए उधार देने वाले वैसे लोगों/संस्थानों की मानसिकता में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जो स्टार्ट-अप उद्यमियों को ऋण देने से हिचकिचाते हैं।
- नियम की सहजता और एक अनुकूल नीतिगत माहौल की उपलब्धता केवल स्टार्ट-अप तक ही सीमित नहीं की जानी चाहिए, अपितु इसे अन्य सभी व्यवसायों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

स्टार्ट-अप के लिए मानदंड

- शामिल फर्म कम से कम पांच वर्ष पुरानी होनी चाहिए।
- फर्म का कुल वार्षिक राजस्व 25 करोड़ रुपये से कम हो।
- कर छूट संबंधी लाभ का पात्र होने के लिए अंतर-मंत्रालयी बोर्ड से मंजूरी लेने की आवश्यकता।
- कोई फर्म 'स्टार्ट अप' की कोटि में तभी आएगी जबकि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इनक्यूबेटर से अनुसंशित हो अथवा घरेलू वेंचर फंड आधारित हो, यदि कंपनी भारतीय पेटेंट आधारित हो तो भी उसे स्टार्ट-अप की कोटि में शामिल किया जायेगा।

5.9.2. दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना

(Deendayal Upadhyay Swaniyojan Yojana)

ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जल्द ही दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना (DUSY) शुरू की जाएगी।

मुख्य विशेषताएं:

- स्वनियोजन योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के विकल्प की तलाश करने वाले ग्रामीण गरीबों को प्रोत्साहन, जैसे कि वित्तीय सहायता प्रदान करना है।।
- योजना को MUDRA बैंक ऋण योजना, नवीन क्रेडिट लिंकेज और स्व-सहायता समूहों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- इसका वित्त पोषण मौजूदा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जाएगा
- यह ड्राइविंग, प्लंबिंग, कृषि, डेयरी फार्मिंग, ग्राफ्टिंग और बागवानी जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल प्रदान करेगी।
- इन क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों को अपने खुद के व्यापार स्थापित करने में मदद करने के लिए मंत्रालय अन्य सरकारी विभागों जैसे कि टेक्सटाइल, पशुपालन, और खाद्य प्रसंस्करण के साथ भी समन्वय स्थापित करेगा।

VISION IAS

5.9.3. स्टैंड अप इंडिया योजना

(Standup India Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसका टैग लाइन "करें प्रयास, पायें विकास" है।

स्टैंड अप इंडिया योजना की मुख्य विशेषताएं:

- इस योजना का उद्देश्य **प्रत्येक उद्यमशील वर्ग (अर्थात-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला) के लिए, बैंक की प्रत्येक शाखा के माध्यम से औसतन कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं को सहज बनाना** है।
- 10,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से रिफाइनेंस विंडो (पुनर्वित्त खिड़की) की सुविधा।
- **नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC)** के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र का सृजन।
- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला दोनों वर्गों के लिए ऋण लेने के पहले और इस दौरान समर्थन** मुहैया कराने पर फोकस किया गया है।
- इस योजना को मंजूरी प्रदान करने का समग्र उद्देश्य आबादी के ऐसे सुविधाविहीन वर्गों तक ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना है। ये बैंक ऋण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के ऐसे लेनदारों द्वारा गैर कृषि क्षेत्र के ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए 10 लाख से 100 लाख रूपये के बीच एवं 7 वर्ष की अवधि तक चुकाए जाने के योग्य होंगे।
- स्टैंड अप इंडिया योजना को वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के द्वारा मुख्य सहयोग प्रदान किया गया है।
- इससे कम से कम 2.5 लाख उधार प्राप्तकर्ताओं को लाभ पहुँचने की उम्मीद है।
- योजना की शुरुआत के बाद 36 महीनों में कम से कम 2.5 लाख मंजूरियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वर्तमान समय में भारत में केवल 9% स्टार्ट-अप ही महिलाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

5.9.4. स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया के लाभ

(Benefits of Start-up India and Stand-up India)

- इससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।
- इससे भारत में और अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- इससे भारत में उद्यमशीलता की संस्कृति का विकास करने में सहायता मिलेगी।
- अल्प सेवित आबादी वाले क्षेत्रों तक संस्थागत ऋण संरचना का लाभ पहुँचने में सहायता मिलेगी।

5.10. मेक इन इंडिया की प्रगति की निगरानी करने और राज्यों को रैंकिंग देने के लिए डैशबोर्ड

(Dashboards to Monitor Make in India and Rank States)

निम्नलिखित दो कार्य-योजनाओं (एक्शन-प्लान्स) पर हुई प्रगति की निगरानी करने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा डैशबोर्ड विकसित किया गया है :

- मेक इन इंडिया एक्शन प्लान
- राज्य स्तरीय व्यापार सुधार कार्य योजना

मेक इन इंडिया डैशबोर्ड:

- 22 क्षेत्रकों को कवर करने वाले लगभग 21 मंत्रालयों को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। ये मंत्रालय अपनी कार्य योजनाओं की प्रगति को इस डैशबोर्ड पर देख सकेंगे व इसे अपडेट भी कर सकेंगे।
- यह निर्धारित एक्शन पॉइंट्स की समयबद्ध डिलीवरी को सुगम बनाएगा।
- यदि किसी प्रकार के कार्यान्वयन में देरी है तो उसकी पहचान एवं निगरानी को सुगम बनाना।
- यह PMO, कैबिनेट सचिवालय और DIPP को प्रगति की निगरानी करने और इस प्रकार के निर्दिष्ट प्रगति पर सुधारात्मक कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करेगा।

"ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' डैशबोर्ड

- यह राज्य स्तरीय व्यापार सुधार कार्य योजना पर हुई प्रगति के बारे में राज्यों को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और DIPP के द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
- इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गयी सर्वोत्तम कार्यविधि की पहचान और उसके बारे में जानकारी का प्रसार करने की सुविधा भी है।
- DIPP द्वारा प्रतिक्रिया के सत्यापन के बाद राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रियल टाइम रैंकिंग भी उपलब्ध होगी।
- राज्यों के प्रतिक्रिया का ब्योरा, उनकी प्रगति और परस्पर रैंकिंग जनता के लिए उपलब्ध रहेगी।

5.11. वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट

(Global Competitiveness Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के इस वर्ष के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 16 पायदान ऊपर चढ़ कर 140 देशों की सूची में 55वें स्थान पर पहुंच गया है।

टिप्पणियां

- उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच, भारत ने 16 पायदान की छलांग लगाई है। अब यह 55वें स्थान पर है और इस प्रकार पिछले पांच वर्षों से रैंकिंग में गिरावट के सिलसिले का अंत कर दिया है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका रैंकिंग में भारत से उच्च स्थान पर है और यह 7 पायदान चढ़ कर 49वें पायदान पर आकर शीर्ष 50 में पुनः अपना स्थान बना लिया है।
- WEF का कहना है कि भारत में कारोबार करने में सबसे अधिक परेशानी पैदा करने वाले कारकों में भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता, मुद्रास्फीति और वित्त तक पहुंच न होना सम्मिलित हैं।
- ऐसे क्षेत्र जहां भारत की स्थिति बेहतर है, वे निवेशक संरक्षण, सकल राष्ट्रीय बचत, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता, उद्यम पूंजी की उपलब्धता, काम पर रखने और निकालने की पद्धतियां, सकल घरेलू उत्पाद और घरेलू बाजार का आकार, नेताओं में जनता का विश्वास और सरकारी विनियमन का बोझ हैं।
- आगे सुधार करने के लिए भारत को इस मार्ग पर डटे रहना चाहिए। इसकी समग्र रैंकिंग अब भी इसके विश्व के सर्वाधिक बजट घाटों में से एक होने के कारण बाधित है (140 में से 131वां)। स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा जैसे कुछ मानकों पर भारत का स्थान नीचे है (85वां स्थान)।
- उदाहरण के लिए, हालांकि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, फिर भी विश्व में भारत का स्थान 106वाँ है, जो अभी भी वैश्विक मानकों के अनुसार काफी कम है। वहीं भारत में शिशु मृत्यु दर लगभग आधी हो गई है, लेकिन अन्य देशों ने इससे भी बेहतर कार्य किया है। इसलिए बेहतर कार्य के बाद भी भारत इस वर्ष नौ स्थान गिरकर 115वें स्थान पर चला गया है।
- WEF का आगे कहना है, "यहाँ की विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता जो अभी भी बहुत ख़राब है (91वां स्थान), इसके अलावा यह भी आश्चर्यजनक है कि IT क्षेत्र के सभी अग्रणी देशों में, यहाँ के व्यवसायों की समग्र प्रौद्योगिकी तत्परता, जो निम्न 120 में आती है, 2014 में सिर्फ एक स्थान ऊपर उठी है।"

WEF एवं GCR, IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग से भिन्न है: IMD रैंकिंग **4** कारकों: **आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और अवसंरचना** में **340** मापदंडों के विश्लेषण के आधार पर **61** देशों को सम्मिलित करती है।

इसमें भारत का स्थान 41**वां है।**

VISION IAS

5.12. विश्व बैंक का लॉजिस्टिक्स कार्य-निष्पादन सूचकांक

(World Bank's Logistics Performance Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक समूह ने हाल ही में अपनी छमाही रिपोर्ट: "**कनेक्टिंग टू कम्पीट 2016: ट्रेड लॉजिस्टिक्स इन ग्लोबल इकॉनमी**" जारी की।

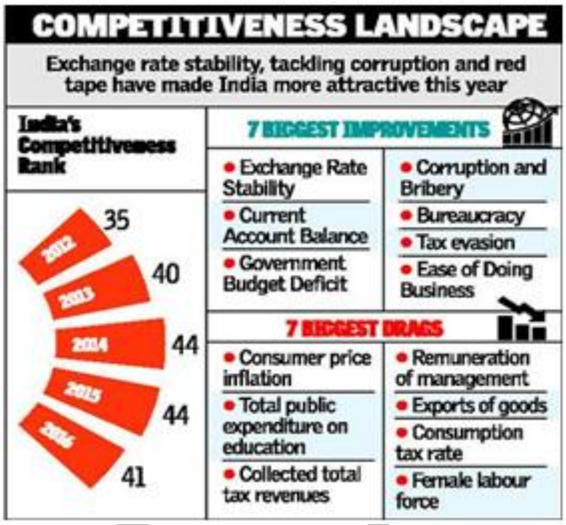

लॉजिस्टिक्स कार्य-निष्पादन सूचकांक (LPI) क्या है?

LPI वस्तुतः किसी देश में तथा उसके भीतरी भागों में उत्पादों की आवाजाही की सुगमता और समर्थता की तुलनात्मक स्थिति को मापता है।

मुख्य बिंदु

- भारत की रैंकिंग में 19 स्थानों का सुधार हुआ है, जो 2014 के अपने 54वें स्थान से बढ़ कर 2016 में 35वें स्थान पर आ गई है।
- ब्रिक्स समूह में केवल चीन भारत से आगे है, चीन 27वें स्थान पर है।
- सूचकांक में सबसे ऊपर जर्मनी और सिंगापुर हैं।
- LPI देश के भीतर माल की आवाजाही की लागत और अक्षमता को दर्शाता है, विशेष रूप से एक राज्य से दूसरे राज्यों में जहां आंतरिक अवरोध विद्यमान होते हैं।
- LPI यह नहीं बताता कि दूरदराज के इलाकों में माल ले जाना कितना आसान या मुश्किल है। भारत के लिए घरेलू LPI अभी भी न्यून स्थिति में है और इसे और बेहतर बनाने की संभावना है।

INDIA'S LPI

	2014	2016
Overall LPI	54	35
The efficiency of customs and border management clearance	65	38
The quality of trade and transport infrastructure	58	36
The ease of arranging competitively priced shipments	44	39
The competence and quality of logistics services	52	32
The ability to track and trace consignments	57	33
The frequency with which shipments reach consignees within scheduled or expected delivery times	51	42

Source: World Bank report

> - ट्रैकिंग और ट्रेसिंग वस्तुतः किसी वस्तु के वर्तमान और पिछले स्थानों (और अन्य जानकारी) का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है।
> - किसी वस्तु की अवस्थिति का पता लगाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और बार कोड दो सामान्य प्रौद्योगिकी तरीके हैं।

महत्व

- भारत की रैंकिंग में सुधार उन नीतियों में संतुलित सुधार को दर्शाती है जो कनेक्टिविटी बढ़ाने (उदाहरण के लिए, सीमा शुल्क) और व्यापार और परिवहन संबंधी ख़राब अवसंरचना में सुधार से संबंधित हैं।
- क्षमता: 2016 में भारत की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला दक्षता जर्मनी की दक्षता की 75% थी, जबकि 2014 में यह 66% ही थी।
- 'मेक इन इंडिया' और व्यापार के लिए बेहतर संभावनाएं सामने आएंगीं।
- बेहतर संस्थागत संरचना: कुशल पेशेवर और तकनीकी उन्नयन ने ट्रैक एंड ट्रेसिंग जैसी सेवाओं के माध्यम से शीर्ष देशों और भारत के बीच के अंतर को पाटने में मदद की है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.